

आज उक्त विचाराधीन दाण्डिक अपील में अपीलार्थी रामदीन शर्मा एवं रणवीर शर्मा एवं घटना के आहत अजमेर मिर्धा सहित श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता एवं श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव ने उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदनपत्र पेश करते हुए प्रकट किया कि उक्त दाण्डिक अपील के दोनों पक्षकार उपस्थित हैं और वे अपने मामले में मध्यस्थता के माध्यम से समझौता करना चाहते हैं क्योंकि उनके मध्य कुछ बिन्दुओं पर सहमति बन गयी हैं कुछ बिन्दु पर विवाद की स्थिति हैं। यदि मामला जे.एम.एफ.सी. गोहद श्री केशव सिंह प्रशिक्षित मध्यस्थ की ओर रिफर कर दिया जाये तो मामले में सुलह समझौते के आधार पर निराकरण संभव है । अतः उनके निवेदन पर प्रकरण को आज सुनवाई में लेते हुए मध्यस्थता कार्यवाही हेतु जे.एम.एफ.सी. श्री केशव सिंह की ओर रेफरल आदेश सहित आज ही भेजा जावे ।

अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण मध्यांतर पश्चात पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

मध्यांतर पश्चात

नियुक्त मध्यस्थ श्री केशव सिंह जे.एम.एफ.सी. गोहद के न्यायालय के सफल मध्यस्थ की सूचना प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली गयी ।

आहत/फरियादी अजमेरसिंह की ओर से श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ने एक आवेदनपत्र राजीनामा अनुमति बाबत धारा-320(2) जा.फौ. का आवेदनपत्र मय फोटो चस्पा करके पेश किया । दोष सिद्ध अपराध धारा-325, 323 भा0द0वि0 का है । उक्त अपराध न्यायालय की अनुमति से शमनीय है तथा राजीनामा से पक्षकारों के मध्य मधुर संबंध कायम होने की संभावना है, अतः बाद विचार न्यायहित में फरियादीगण को आरोपीगण/अपीलार्थीगण से राजीनामा करने की अनुमति बाद विचार प्रदान की जाती है ।

उभयपक्ष की ओर से लिखित राजीनामा आवेदनपत्र पेश किया गया, राजीनामा के संबंध में फरियादी अजमेर का समझौता कथन अंकित किए गये । फरियादी की पहचान श्री धर्मेन्द्र श्रीवासतव अधिवक्ता द्वारा की गयी है एवं अपीलार्थीगण की पहचान श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता द्वारा की गयी है। फरियादी की फोटो को भी श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ने पहचाना है, उभयपक्ष द्वारा राजीनामा स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दवाब या धौंस के किया जाना प्रकट होता है । अतः राजीनामा विधि अनुकूल होने से बाद विचार स्वीकार किया जाता है । राजीनामा के आलोक में आरोपीगण/अपीलार्थीगण रामदीन शर्मा एवं रणवीर शर्मा को दोषसिद्ध अपराध धारा-325 एवं 323 भा0द0वि0 के अपराध से भी **दोषमुक्त** किया जाता है । आरोपीगण द्वारा जमा अर्थदण्ड वापिस किया जावे ।

प्रकरण में आरोपीगण/अपीलार्थीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं ।

प्रकरण में जब्तशुदा मुददेमाल मूल्यहीन होने से नष्ट किए जावें ।

आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो ।

प्रकरण में नियत तिथि दिनांक-08/02/2016 नियत की जाकर प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

पी0ओ0 महोदय शीत कालीन अवकाश पर होने से मेरे समक्ष पेश ।

आरोपी/अपीलार्थी विनोद सिंह द्वारा श्री के.सी. उपाध्याय अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से ए.जी.पी. बी.एस.वघेल उप.।

आरोपी को पूर्व आदेश के पालन में प्रोडक्शन वारण्ट से तलब नहीं किया गया है । आज ही तलब किया जावे ।

प्रकरण प्रोडक्शन वारण्ट के पालन में आरोपी की उपस्थिति/अंतिम तर्क हेतु दिनांक-12/01/2016 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

शासन द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल एजीपी ।

आरोपी मोहित न्यायिक निरोध से उपजेल गोहद से पेश एवं आरोपी राहित सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।

पाबंद अभियोजन साक्षी अशोक सिंह, पदम सिंह उपस्थित । आज के लिए आहूत साक्षी आरक्षक राजेश कुमार एवं आरक्षक श्यामवीर संमंस तामील उपरांत पुकार लगाये जाने पर अनुपस्थित, उन्हें पांच पांच सौ रुपये के जमानती वारण्ट से तलब किया जावे ।

साक्षी मुलायम का संमंस अदम प्राप्त । पुनः जारी हो

प्रकरण में फरियादी अशोक सिंह की ओर से आर0सी0 यादव अधिवक्ता ने मय वकालतानामा के एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-302 द0प्र0सं0 के तहत प्रस्तुत कर प्रकरण में अभियोजन का सहयोग करने की अनुमति चाही, जिसपर श्री बघेल एजीपी को कोई आपत्ति नहीं है ।

अतः बाद विचार आवेदनपत्र स्वीकार कर अभियोजन का

समर्थन करने की अनुमति प्रदान की गयी ।

बचाव पक्ष की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधि० द्वारा एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-91 के साथ प्रस्तुत किया जिसके साथ सूची अनुसार दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की गयी । नकल एजीपी को दी गयी । उनके द्वारा लिखित जवाब न देना व्यक्त किया । मौखिक विरोध किया ।

अतः उक्त आवेदनपत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये ।

अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र के माध्यम से घटना दि० के पूर्व आरोपीगण की बहिन अंजली कुशवाह द्वारा उपस्थित साक्षी/आहत अशोक सिंह के विरुद्ध यौन शोषण की शिकायत पर से हुई कार्यवाही के संबंध में एस०डी०ओ०पी० गोहद, डी०आई०जी० ग्वालियर संभाग एवं चंबल संभाग, पुलिस अधीक्षक भिण्ड आदि को की गयी शिकायतें और उनपर हुई जांच से संबंधित दस्तावेजों को प्रतिपरीक्षा के दौरान आवश्यक होने से उन्हें आहूत किए जाने की प्रार्थना की गयी है और आरोपीगणके विद्वान अधि० द्वारा यह भी तर्क किया है कि साक्ष्य के दौरान मूल दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी इसलिये पहले आवेदन में उल्लेखित दस्तावेजों को सभी संबंधित कार्यालयों से तलब

किया जावे । जिसका विद्वान एजीपी द्वारा विरोध करते हुए तर्कों में यह व्यक्त किया है कि प्रकरण के निराकरण के लिए उक्त दस्तावेजों की कोई आवश्यकता नहीं है और आरोपीगण के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद बचाव में झूठी कार्यवाही की गयी और यदि आरोपीगण यदि उनको पेश भी करना चाहे तो वे बचाव के रूप में स्वयं पेश कर सकते हैं इसलिये जांच संबंधी दस्तावेज बुलाये जाने की आवश्यकता नहीं है और आवेदन बिलंब के उद्देश्य से पेश किया है ।

धारा-91 सीआरपीसी 1973 के उपबंध मुताबिक— किसी जांच विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए न्यायालय कोई दस्तावेज, चीज या अन्य कार्यवाही से संबंधित सामग्री प्रकरण के लिए आवश्यक या वांछनीय होने पर जिस व्यक्ति के सक्रिय आधिपत्य में हो उससे संमंस

जारी कर या लिखित आदेश के द्वारा आहूत कर सकता है । विचाराधीन सत्रवाद हत्या के प्रयत्न के आरोप में लंबित है, आवेदनपत्र में जिन दस्तावेजों या जांचों का उल्लेख किया है वे आरोपीगण से प्रत्यक्ष तौर पर संबंधित नहीं हैं । आरोपीगण ने अपनी बहिन से संबंधित यौन शोषण संबंधी शिकायतों की जांच बतायी गयी हैं, जिसे अभियोजन साक्ष्य के प्रक्रम पर आहूत किए जाने की आवश्यकता विचारण के लिए आवश्यक या वांछनीय होना प्रतीत नहीं होती है क्योंकि आवेदनपत्र में वर्णित विवरण से ऐसा प्रकट किया गया है कि बचाव पक्ष अपने बचाव के आधारों के संबंध में जांच संबंधी दस्तावेजों को आहूत कराना चाहता है जिनकी फोटो प्रतियां उन्होंने आवेदन के साथ प्रस्तुत की हैं । यदि बचाव पक्ष प्रतिरक्षा के आधार के संदर्भ में वर्णित दस्तावेजों का उपयोग करना चाहता है तो वह स्वयं उसे पेश कर सकता है या प्रतिरक्षा के प्रक्रम पर पेश करा सकता है

किन्तु अभियोजन साक्ष्य के प्रक्रम पर आवेदनपत्र में उल्लेखित जांचों से संबंधित सामग्री को संमंस या लिखित आदेश द्वारा आहूत किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । फलतः आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र सारहीन मानते हुए **निरस्त** किया जाता है । और अभियोजन के उपस्थित साक्षियों की साक्ष्य कराने हेतु आदेशित किया जाता है । जिसके लिए प्रकरण थोड़ी देर बाद पुनः पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

शासन द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल एजीपी ।

आरोपी मोहित न्यायिक निरोध से उपजेल गोहद से पेश एवं आरोपी राहित सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।

पाबंद अभियोजन साक्षी अशोक सिंह, पदम सिंह अनुपस्थित । उक्त साक्षीगण को पुनः संमंस जारी हो ।

अभियोजन साक्ष्य में साक्षीगण प्रियंका पटवारी एवं ए.एस.आई भैयालाल उपस्थित । साक्षीगण को शपथ दिलाई जाकर क्रमशः अ.सा.-1 व 2 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया । शेष अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु
दिनांक—.....एवंजनवरी 2016 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

शासन द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल एजीपी ।

आरोपी मोहित न्यायिक निरोध से उपजेल गोहद से पेश एवं आरोपी राहित सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।

पाबंद साक्षी अशोक सिंह, पदम सिंह की साक्ष्य कराने हेतु कहे जाने पर बचाव पक्ष अधि० श्री प्रवीण गुप्ता ने व्यक्त किया कि इस प्रकरण में उनके वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री आर0डी0 गुप्ता पैरवी करेंगे जो आज अस्वस्थ होकर उपस्थित नहीं है । इसलिये साक्षियों की साक्ष्य आज नहीं लिये जाने का निवेदन किया । एजीपी ने भी व्यक्त किया कि न्यायालय का समय थोडा ही शेष है साक्षियों के कथन पूर्ण नहीं हो पायेंगे । इसलिये साक्षियों को आगामी कार्य दिवस के लिए आरोपीगण के खर्चे पर पाबंद कर लिया जावे । अतः समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात और कार्यालयीन समय के बचे हुए कम समय को देखते हुए साक्षियों को आगामी कार्य दिवस के लिए एक-एक सौ रुपये खर्चे पर पाबंद किया जाता है जो आरोपीगण वहन करेंगे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत नियत दिनांक-18/12/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

आरोपी/अपीलार्थी पलविंदर सिंह द्वारा श्री एम. पी.एस. राणा अधिवक्ता उपस्थित ।

अनावेदक/शासन द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल एजीपी ।

आवेदक/अपीलार्थी की ओर से एक आवेदनपत्र धारा-394(2) द0प्र0सं0 1973 पेश किया गया । जिसके समर्थन में पालसिंह का शपथपत्र एवं पलबिंदर सिंह के मृत्यु प्रमाणपत्र की छायाप्रति पेश की गयी ।

उक्त आवेदनपत्र पर उभयपक्ष को सुना गया ।

आवेदक/अपीलार्थी द्वारा आवेदनपत्र पेश करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी/आरोपी की मृत्यु दि0-09/10/2015 को हो चुकी है, इस कारण अपील का उपशमन किए जाने का निवेदन किया ।

अभिलेख का अवलोकन किया गया । जिसके

मुताबिक आरोपी/अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-279 भा.द.वि.के अपराध में दोषी पाते हुए 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। द0प्र0सं0 1973 की धारा-394(2) के अनुसार जिन मामलों में अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया हो, वह मामले उपशमन योग्य नहीं होते हैं बल्कि गुणदोषों पर उक्त मामले में निराकरण किया जाना चाहिये । उक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी/अपीलार्थी पलबिंदर सिंह की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है ।

फलतः बाद विचार निरस्त किया जाता है ।

आवेदनपत्र की प्रति मय मृत्यु प्रमाणपत्र के संबंधित आरक्षी केन्द्र भेजी जाकर फौती के संबंध में प्रतिवेदन मंगाया जावे ।

प्रकरण फौती के संबंध में रिपोर्ट एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक-.....को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

आरोपी/अपीलार्थी वीदाराम सहित श्री के.सी. उपाध्याय अधिवक्ता उपस्थित ।

अपीलार्थीगण देवेन्द्र एवं धर्मेन्द्र अनुपस्थित, उनकी ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवासतव अधिवक्ता उपस्थित ।
(आदेश दिनांक-25/03/2015)

अनावेदक द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी.।

प्रकरण निर्णय हेतु नियत है । निर्णय प्रथक से टंकित कराया जाकर घोषित किया गया, निर्णयानुसार आरोपी/अपीलार्थी वीदाराम आदि की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया ।

अपीलार्थी/आरोपी के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का

अभिलेख वापिस किया जावे ।

अनुपस्थित आरोपियों के जमानतदारों के विरुद्ध प्रथम से एम.जे.सी. कायम की जावे ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा किया जावे ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

10 / 12 / 2015

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के सी. आर.आर नंबर-86/2015 मनीष मिश्रा वि० जगराम में पारित आदेश दि०-01/12/2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित इस न्यायालय का प्रकरण क्र.-54/2013 निगरानी फौजदारी जगराम वि० रमेश आदि आदेश दि०-14/07/2014 संलग्न प्र.क्र.-670/2014 जगराम वि. रमेश आदि पेशी दि० 24/11/2015 न्यायालय श्री गोपेश गर्ग, जे.एम.एफ.सी. गोहद का प्राप्त हुआ । माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के द्वारा इस न्यायालय के आलोच्य आदेश को अपास्त कर पुनः पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर सुनवाई किए जाने का आदेश किया गया है । अतः निगरानी पुनः नंबर पर दर्ज हो । अभिलेख की प्राप्ति अभिस्वीकृति माननीय उच्च न्यायालय की ओर भेजी जावे ।

प्रकरण में पक्षकारों की उपस्थिति हेतु 11/01/2016 को उपस्थित रहने बाबत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है ।

अतः प्रकरण दिनांक-11/01/2016 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा श्री बी.एस.बघेल विशेष लोक अभियोजक
उपस्थित ।

आरोपी मुन्नालाल सहित श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता
उपस्थित ।

आरोपी राजेश न्यायिक निरोध से पेश, उसके
अधिवक्ता श्री पी.एन.भट्टेले उपस्थित ।

आरोपी संदीप एवं हरीमोहन सहित श्री के.पी.राठौर
अधिवक्ता उपस्थित ।

शेष आरोपीगण मुन्नालाल एवं जसवंत पूर्व से
फरार घोषित ।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

अभियोजन साक्षी पहाड़ सिंह अ.सा.18 उपस्थित।
परीक्षण—प्रति परीक्षण उपरांत मुक्त किये गये।

साक्षी किशनपुरी पुत्र नारायणपुरी की उपस्थिति के लिए जारी संमस अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि किशनपुरी पुत्र नारायणपुरी जेल प्रहरी नाम का कोई व्यक्ति केन्द्रीय जेल ग्वालियर में वर्ष 2006 से आज दिनांक तक नहीं रहा। इस संबंध में तामीलकर्ता को जाँच कथन हेतु आगामी कार्य दिवस के लिए तलब किया जाये।

इस संबंध में कार्यालय पुलिस अधीक्षक का पत्र प्राप्त। इस संबंध में थाना प्रभारी एवं तामीलकर्ता द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया।

साक्षी जितेन्द्र सिंह पुत्र फेरन सिंह की उपस्थिति के लिए जारी संमस अदम् तामील मय तश्दीक पंचनामा के इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि वह चार—पाँच साल पहले ही मैनपुरी से चले गये है। इस संबंध में प्रधान आरक्षक जाँच कर्ता के कथन लेखबद्ध किये गये।

प्रकरण शेष साक्ष्य हेतु पूर्ववत् दिनांक : 16/12/15 को पेश हो।

आरोपी भारत सिंह सहित श्री के०पी० राठौर अधि०।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

साक्षीगण साहब सिंह, उत्तम सिंह, सैनिक जुलाल सिंह एवं डॉ राहुल सिंह उपस्थित, उन्हें शपथ दिलाई जाकर क्रमशः अ.सा.—4, 5, 6 एवं 7 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया।

साक्षीगण उत्तम व हरनारायण के संमस बाद तामील

प्राप्त, साक्षीगण पुकार पर अनुपस्थित, उन्हें पांच पांच सौ रुपये के जमानती वारण्ट से तलब किया जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत् दिनांक-19/11/15 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह बघेल ।

आरोपीगण मनोज, अनिल सहित श्री एन0पी0 कांकर अधिवक्ता ।

आरोपीगण द्वारिका एवं राधाकिशन सहित श्री रमेश यादव अधिवक्ता ।

प्रकरण बचाव साक्ष्य हेतु नियत है ।

बचाव साक्ष्य में साक्षी राधेश्याम उपस्थित । उसे शपथ दिलाई जाकर बचाव साक्षी क्रमांक-2 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

आरोपी राधाकिशन की ओर से धारा-315 जा.फौ. का आवेदनपत्र पेशकर बचाव साक्ष्य में स्वयं का कथन करने हेतु अनुमति दिये जाने का निवेदन किया ।

आवेदनपत्र पर सुना गया । बाद विचार आरोपी राधाकिशन की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र धारा-315 जा. फौ. स्वीकार किया जाकर बचाव साक्ष्य में शपथ पर कथन करने की अनुमति दी जाती है ।

बचाव साक्ष्य में स्वयं आरोपी राधाकिशन को शपथ दिलाई जाकर व.सा.-3 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया । साक्ष्य में आरोपी की ओर से प्रस्तुत रजिस्टर पर प्रदर्श डाला जाकर छायाप्रति संलग्न कर मूल रजिस्टर वापिस किया गया ।

आरोपीगण अधिवक्ता द्वारा शेष बचाव साक्ष्य पेश करने हेतु समय चाहा, न्याय हित में आगामी दिनांक पर अति आवश्यक रूप से पेश करने के निर्देश के साथ समय

दिया गया ।

प्रकरण बचाव साक्ष्य हेतु दिनांक-03/12/2015
को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

07/11/2015

फरियादी तुलाराम उपस्थित हुआ, उसके द्वारा व्यक्त किया गया कि वह अहमदाबाद में मजदूरी करता है और अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है, इसलिये उसका राजीनामा कथन आज ही लिये जाने का निवेदन किया । अतः फरियादी तुलाराम का राजीनामा कथन लिया गया । कथन उपरांत उसे उन्मुक्त किया गया ।

प्रकरण राजीनामा आवेदनपत्र के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु पूर्ववत दिनांक-10/12/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पी0ओ0 महोदय शीत कालीन अवकाश पर होने से मेरे समक्ष पेश ।

राज्य की ओर से ए.जी.पी. बी.एस.वघेल उप.।
आरोपी विजय सिंह गोहद जेल से पेश, उसकी ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित ।
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।
साक्षीगण आर0पी0 गोयल एवं आरक्षक सुनील के जमानती वारण्ट अदम प्राप्त । पुनः जारी हो ।
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत दिनांक-23/12/15 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

अभिभाषक संघ, गोहद की ओर से स्व. श्री तेजनारायण शुक्ला अधिवक्ता के आकस्मिक निधन के तारतम्य में अधिवक्तागण अनिश्चित कालीन न्यायालय कार्य से सामूहिक रूप से विरत हैं ।

राज्य द्वारा कोई नहीं ।

आरोपीगण सोनू उर्फ अखलेश, अशोक, अरविंद सहित एवं शेष आरोपीगण अनुपस्थित ।

अनुपस्थित आरोपीगण की ओर से हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश जो बाद विचार दर्शित कारण उचित होने से इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आगामी दिनांक पर आरोपीगण को अति आवश्यक रूप से उपस्थित रखा जावे ।

अभियोजन साक्ष्य जारी नहीं, आज ही जारी हो ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक-30 नवंबर तथा 02 एवं 03 दिसंबर 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,

पुनश्च—

राज्य द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर ए.जी.पी.।

आवेदक/आरोपीगण जितेन्द्र एवं धर्मेन्द्र सहित श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता ।

आयु संबंधी जांच में साक्षीगण श्रीमती मीरा एवं सालिगराम उर्फ रामसुरेश उपस्थित हैं, उन्हें शपथ दिलाई जाकर क्रमशः आ.सा.—1 व 2 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

आवेदक ने अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना व्यक्त किया, अनावेदक/शासन ने भी अपनी साक्ष्य पेश नहीं करना व्यक्त किया ।

उभयपक्ष अधिवक्ता के आयु संबंधी जांच पर तर्क सुने गये ।

प्रकरण आदेश हेतु मध्यांतर पश्चात पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

राज्य द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर ए.जी.पी.।

आवेदक/आरोपीगण जितेन्द्र एवं धर्मेन्द्र सहित श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता ।

आदेश प्रथक से टंकित कराया जाकर घोषित किया गया । आदेशानुसार अभिलेख पर आयी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आरोपी/आवेदकगण जितेन्द्र एवं धर्मेन्द्र घटना दिनांक को उक्त अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए अवयस्क पाया गया है। ऐसे में उसकी स्थिति अपचारी बालक की हो जाती है, जिसका विचारण सामान्य न्यायालय में न होकर किशोर न्यायालय में ही किया जा सकता है। अभियोजन को निर्देशित किया गया है कि वह अपचारी बालक धर्मेन्द्र एवं जितेन्द्र सिंह के विरुद्ध किशोर न्याय, बोर्ड भिण्ड में प्रथक से उसके विचारण हेतु अभियोगपत्र प्रस्तुत करे । वर्तमान सत्रवाद

प्रकरण की कार्यवाही से उसे प्रथक किया जाता है, जिसका परिणाम दायरा पंजी में लेखबद्ध किए जाने हेतु आदेश की प्रति माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, भिण्ड को भेजी जावे एवं आदेश की एक प्रति किशोर न्याय बोर्ड, भिण्ड की ओर सूचनार्थ भेजी जावे ।

प्रकरण पूर्ववत अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक-1, 2 व 3 दिसंबर 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

इंदौर में अधिवक्ता के हुए मर्डर के विरोध में स्टेटबार कौंसिल के समर्थन में तहसील गोहद के अधिवक्तागण कार्य से विरत हैं ।

अपीलार्थी वीदाराम स्वयं उपस्थित ।

अपीलार्थीगण देवेन्द्र व धर्मेन्द्र अनुपस्थित ।

आज अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत हैं इसलिये अपीलार्थी ने समझौता कार्यवाही हेतु समय चाहा, न्यायहित में इस निर्देश के साथ समय दिया गया कि आगामी दिनांक पर आवश्यक रूप से स्थिति स्पष्ट करें । अन्यथा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

प्रकरण अंतिम तर्क/राजीनामा हेतु अंतिम अवसर के साथ दिनांक-01/12/2015 को पेश हो ।

(पी0सी0 आर्य)
विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद

आज अधिवक्तागण स्व. श्री तेजनारायण शुक्ला अधिवक्ता के असमायिक निधन व अपनी मांगों के समर्थन में सामूहिक रूप से कार्य से विरत हैं ।

राज्य द्वारा ए.जी.पी.।

प्रकरण आरोपी नरेश के जमानत आवेदनपत्र पर जवाब तर्क हेतु नियत है ।

प्रकरण में अधिवक्तागण कार्य से विरत रहने के कारण जमानत आवेदनपत्र पर तर्क श्रवण नहीं किए जा सके ।

प्रकरण जमानत आवेदनपत्र पर तर्क हेतु दिनांक-07/10/2015 एवं अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत नियत दिनांक-03/11/2015 को पेश हो ।

(पी0सी0 आर्य)

विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री भगवान सिंह बघेल ।

आरोपी नरेश सहित श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता ।

आरोपी मुन्ना सहित श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता ने वकालतानामा पेश किया ।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत है ।

उभयपक्ष अधिवक्ता के आरोप तर्क सुने गये ।

प्रकरण आज आरोप तर्क हेतु नियत है, एजीपी एवं आरोपी के विद्वान अधिवक्ता के आरोप पूर्व तर्क सुने गये ।

विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा अभियोग पत्र में उल्लेखित धाराओं के तहत आरोप विरचित किये जाने का निवेदन किया, जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है तथा झूठा फंसाया गया है आरोपीगण पर कोई आरोप नहीं बनता है इसलिए आरोपी को उन्मोचित किया जावे ।

आरोप संबंधी आदेश प्रथक से टंकित किया जाकर खुले न्यायालय में घोषित किया गया । आदेशानुसार आरोपीगण नरेश एवं मुन्ना उर्फ तिलक के विरुद्ध मामला धारा-344, 346, 370 भा0द0वि0 की परिधि के अंतर्गत ही आता है, एवं धारा-363, 366 भा0द0वि0 के प्रमाण के लिए आवश्यक अवयव प्रकट नहीं होते हैं ।

धारा-344, 346 व 370 भा0द0वि0 का अपराध जे.एम.एफ.सी. न्यायालय के विचारण क्षेत्राधिकार का है । इसलिये इस विशेष न्यायालय डकैती, गोहद में उक्त मामले का विचारण नहीं हो सकता है । इसलिये उक्त प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए थाना प्रभारी गोहद चौराहा को विधिवत वापिस किया गया है ।

थाना प्रभारी गोहद चौराहा, आरोपीगण को संबंधित सक्षम न्यायालय में विधिवत सूचना देकर अभियोगपत्र प्रस्तुत करें और आरोपीगण सूचना के अनुपालन में संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत रहें, इस निर्देश के साथ अभियोगपत्र व संलग्न दस्तावेजों को पंजी में परिणाम दर्ज कर वापिस किए जावें । शेष पत्रावली विधिवत अभिलेखागार में संचित

हो ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज करने हेतु प्रतिलिपि माननीय सत्र न्यायाधीश, महोदय, भिण्ड की ओर सादर प्रेषित जावे ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

आज अधिवक्तागण स्व. श्री तेजनारायण शुक्ला अधिवक्ता के असमायिक निधन व अपनी मांगों के समर्थन में सामूहिक रूप से कार्य से विरत हैं ।

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी.।

आरोपीगण भीखाराम एवं सतेन्द्र स्वयं उपस्थित ।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत है ।

प्रकरण में अधिवक्तागण कार्य से विरत रहने के कारण आरोप तर्क श्रवण नहीं किए जा सके ।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक—08/10/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

आज अधिवक्तागण स्व. श्री तेजनारायण शुक्ला अधिवक्ता के आकस्मिक अज्ञात कारणों से निधन व अपनी मांगों के समर्थन में सामूहिक रूप से कार्य से विरत हैं ।

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी.।
आरोपिया आशा स्वयं उपस्थित ।
प्रकरण अतिरिक्त अभियुक्त परीक्षण हेतु नियत है ।
आरोपिया के धारा-313 जा.फौ. के अंतर्गत अतिरिक्त
अभियुक्त परीक्षण लिये गये, बचाव साक्ष्य देना व्यक्त
किया। अतः प्रकरण बचाव साक्ष्य हेतु नियत किया जाता
है।

प्रकरण बचाव साक्ष्य एवं धारा-311 जा.फौ. के
जवाब तर्क हेतु दिनांक-09/10/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

आज अधिवक्तागण स्व. श्री तेजनारायण शुक्ला
अधिवक्ता के आकस्मिक अज्ञात कारणों से निधन व अपनी
मांगों के समर्थन में सामूहिक रूप से कार्य से विरत हैं ।

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी.।
आरोपीगण स्वयं उपस्थित ।
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।
साक्षीगण को जारी तामीलें वापिस प्राप्त नहीं । पुनः
पूर्वानुसार जारी हो ।

प्रकरण अभियोजन हेतु दिनांक-09 एवं
10/11/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

अभिभाषक संघ, गोहद की ओर से स्व. श्री तेजनारायण शुक्ला अधिवक्ता के आकस्मिक निधन के तारतम्य में अधिवक्तागण अनिश्चित कालीन न्यायालय कार्य से सामूहिक रूप से विरत हैं ।

राज्य द्वारा कोई नहीं ।

आरोपीगण सोनू उर्फ अखलेश, अशोक, अरविंद सहित एवं शेष आरोपीगण अनुपस्थित ।

अनुपस्थित आरोपीगण की ओर से हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश जो बाद विचार दर्शित कारण उचित होने से इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आगामी दिनांक पर आरोपीगण को अति आवश्यक रूप से उपस्थित रखा जावे ।

अभियोजन साक्ष्य जारी नहीं, आज ही जारी हो ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक-30 नवंबर तथा 02 एवं 03 दिसंबर 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी. ।

आरोपीगण भूरा एवं राजाभैया सहित श्री केशव सिंह गुर्जर अधिवक्ता ।

आरोपीगण का धारा-313 जा0फौ0 के अंतर्गत परीक्षण किया गया, बचाव साक्ष्य में प्रवेश कराया गया, बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया । अतः बचाव साक्ष्य का

अवसर समाप्त किया जाता है।

आरोपीगण की ओर से जमानतदार रामजीलाल पिता अहिबरन सिंह गुर्जर निवासी ग्राम आलौरी परगना गोहद ने उपस्थित होकर धारा-437 (क) जा.फौ. के अंतर्गत 25-25 हजार की जमानतें पेश की, जमानतदार की पहचान श्री केशव गुर्जर अधिवक्ता ने की, जमानत विधि अनुकूल होने से स्वीकार की जाती है जो कि निर्णय दिनांक से आगामी छः माह तक के लिए प्रभावी रहेगी।

प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया जाता है।

प्रकरण अंतिम तर्क हेतु दिनांक-..... को पेश हो।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह बघेल।

आरोपीगण मनोज, अनिल सहित श्री एन0पी0 कांकर अधिवक्ता।

आरोपीगण द्वारिका एवं राधाकिशन सहित श्री रमेश यादव अधिवक्ता।

प्रकरण अभियुक्त परीक्षण हेतु नियत है।

अतः प्रकरण बचाव साक्ष्य एवं जमानत प्रस्तुति हेतु नियत किया जाता है।

आरोपीगण राधाकिशन एवं द्वारिका की ओर से जमानतदार रामहेत पिता हरबिलास गौड उम्र 70 साल निवासी खुमान का पुरा थाना मालनपुर ने एवं आरोपीगण मनोज एवं अनिल गौड की ओर से जमानतदार गजराज सिंह पिता बालमुकुन्द निवासी बिजौली जिला ग्वालियर ने उपस्थित होकर धारा-437 (क) जा.फौ. के अंतर्गत 30-30 हजार की जमानतें पेश की, जमानतदार की पहचान

श्री एन.पी. कांकर अधि० एवं श्री रमेशचन्द्र यादव अधिवक्ता ने की, जमानत विधि अनुकूल होने से स्वीकार की जाती है जो कि निर्णय दिनांक से आगामी छः माह तक के लिए प्रभावी रहेगी ।

बचाव साक्ष्य में आरोपीगण राधाकिशन एवं द्वारिका की ओर से साक्षी रमेश कुमार उपस्थित है, उसे शपथ दिलाई जाकर बचाव साक्षी क्र.-1 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

आरोपीगण अधिवक्ता द्वारा शेष बचाव साक्ष्य पेश करने हेतु समय चाहा, न्याय हित में आगामी दिनांक पर अति आवश्यक रूप से पेश करने के निर्देश के साथ समय दिया गया ।

प्रकरण बचाव साक्ष्य हेतु दिनांक-17/10/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

निगरानीकर्ता द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।

निगरानीकर्ता अधिवक्ता के प्रारम्भिक तर्क श्रवण किए गये, प्रस्तुत निगरानी याचिका में उठाये गये बिन्दु को देखते हुए निगरानी में विधि एवं तथ्य के प्रश्न निहित हैं अतः निगरानी अंतिम तर्क हेतु सुनवाई में ग्राह्य की जाती है ।

तलवाना पेश होने पर संबंधित अभिलेख बुलाया जावे एवं प्रत्यर्थीगण को तलब किया जावे ।

प्रकरण दिनांक—.....को पेशहो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

आज अधिवक्तागण स्व. श्री तेजनारायण शुक्ला अधिवक्ता के आकस्मिक अज्ञात कारणों से निधन व अपनी मांगों के समर्थन में सामूहिक रूप से कार्य से विरत हैं ।

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी.।

आरोपीगण सहित श्री रमेश यादव अधिवक्ता।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

साक्षीगण जे.पी. भट्ट, रिकू, मुन्ना खटीक, सोनू, लीलाबाई के संमंस बाद तामील प्राप्त, साक्षी पुकार पर अनुपस्थित, उन्हें पांच पांच सौ रुपये के जमानती वारण्ट से तलब किया जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु
दिनांक-30/09/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल ।

आरोपीगण मानसिंह, अरविंद व अतुल सहित श्री के0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता ।

प्रकरण निर्णय हेतु नियत है ।

निर्णय प्रथक से टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया ।

निर्णयानुसार आरोपी **मानसिंह** को आयुध अधिनियम 1959 की धारा-25 (1) (1-क क) में उक्त अधिनियम की धारा-7 में मामला संदिग्ध होने से **दोषमुक्त** किया गया है एवं आरोपीगण अतुल एवं अरविंद ओझा को आयुध अधिनियम 1959 की धारा-25 (1) (1-क क) में उक्त अधिनियम की धारा-7 के अपराध में **दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया है, अर्थदण्ड की राशि अदा ना होने पर व्यतिक्रम में छः-छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया गया है ।

धारा-428 द.प्र.सं. के उपबंध मुताबिक **आरोपी अतुल** द्वारा विचारण के दौरान भोगी गयी **दिनांक-18/3/2013 से दिनांक-15/05/2013 तक** एवं **आरोपी अरविंद** द्वारा विचारण के दौरान भोगी गयी **दिनांक-18/03/2013 से 16/05/2013 तक** की अवधि समायोजित की जावे, प्रमाणपत्र सजा वारण्ट के साथ संलग्न हो ।

आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए गये ।

प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति प्रदर्श पी.-1 व 2 मुताबिक आर्टिकल ए लगायत- एस जिनमें पांच आग्नेय शस्त्र हैं, शेष उनके विनिर्माण से संबंधित उपकरण बताये

गये हैं इसलिये समस्त संपत्ति अपील अवधि पश्चात विधिवत निराकरण के लिए जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजे जावें ।

निर्णय की प्रति आरोपीगण अतुल व अरविंद को निशुल्क प्रदान की गयी ।

निर्णय की एक प्रति डी.एम. भिण्ड की ओर भेजी जावे ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो ।

(पी.सी. आर्य)

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर ।

आरोपीगण मनोज सहित एवं अनिल अनुपस्थित द्वारा श्री एन0पी0 कांकर अधिवक्ता ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया जो बाद विचार इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आगामी दिनांक पर आरोपी को अति आवश्यक रूप से उपस्थित रखा जावे ।

आरोपीगण द्वारिका एवं राधाकिशन सहित श्री रमेश यादव अधिवक्ता ।

प्रकरण अभियुक्त परीक्षण हेतु दिनांक—22/09/15 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल ।

आरोपिया सहित श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता ।

अपर सत्र न्यायाधीश, श्री डी.सी. थपलियाल के न्यायालय से वांछित सत्रवाद प्रकरण प्राप्त नहीं, पुनः मांगपत्र भेजकर तलब किया जावे ।

साक्षी कुमारी प्रीति का संमंस बाद तामील प्राप्त, साक्षी पुकार पर अनुपस्थित, उसे पांच सौ रुपये के जमानती वारण्ट से तलब किया जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक—11/9/2015

को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल ।

आरोपी भीखाराम सहित श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

प्रकरण निर्णय हेतु नियत है ।

निर्णय प्रथक से टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया ।

निर्णयानुसार आरोपी भीखाराम को धारा-420/34, 467/34, 468/34, 471/34 भा.दं.वि. में मामला संदिग्ध होने से दोषमुक्त किया गया है एवं धारा-406 भा. दं.वि. के अपराध में दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं पंद्रह हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड की राशि अदा ना होने पर व्यक्तिगत में छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया गया है ।

धारा-428 द.प्र.सं. के उपबंध मुताबिक आरोपी भीखाराम द्वारा विचारण के दौरान भोगी गयी दिनांक-20/06/2014 से 17/07/2015 तक की अवधि समायोजित की जावे, प्रमाणपत्र सजा वारण्ट के साथ संलग्न हो ।

आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की जमा राशि में से बतौर प्रतिकर धारा-357 द.प्र.सं. के अंतर्गत आहत रामौतार व निशा को उनके ब्याज के हुए नुकसान को देखते हुए पांच-पांच हजार रुपये अपील अवधि उपरान्त विधिवत प्रदान किये जावें ।

आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
प्रकरण में अन्य आरोपी भीखाराम के पुत्र
रामबाबू, एवं अनिल तथा पुत्रवधू श्रीमती मालती के संबंध में
धारा-173 (8) जा.फौ. के संबंध में अनुसंधान लंबित है, इस

कारण जब्तशुदा दस्तावेजों आर्टिकल ए लगायत-डब्ल्यू के
संबंध में अभी कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है।
प्रकरण सुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ अभिलेखागार में
जमा किया जावे ।

निर्णय पश्चात जब्तशुदा आर्टिकल विधिवत सीलड
कर मालखाना नाजिर को विधिवत वापिस भेजे गये।

निर्णय की प्रति आरोपी को निशुल्क प्रदान की गयी।
निर्णय की एक प्रति डी.एम. भिण्ड की ओर भेजी
जावे ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा
हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0

बघेल ।

आरोपिया प्रयागवती अनुपस्थित शेष आरोपीगण रामसवेक, हरीओम सहित श्री के.सी. उपाध्याय अधिवक्ता ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया जो बाद विचार स्वीकार किया जाता है ।

आरोपी अवधेश सहित श्री एन.पी. कांकर अधिवक्ता ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

आदेश दिनांक-16/11/2015 के पालन में साक्षी उरदयाल उपस्थित, उसे शपथ दिलाई जाकर पुनः अ.सा. -2 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

अपर लोक अभियोजक ने अभियोजन साक्ष्य समाप्त घोषित की । अतः अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है ।

आरोपीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा-437 (क) जा.फौ. के अंतर्गत पचास-पचास हजार रुपये की सक्षम जमानत पेश करेंगे ।

प्रकरण अभियुक्त कथन एवं जमानत प्रस्तुति हेतु दिनांक-06/01/16 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल ।

आरोपिया सहित श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता ।

इस आदेश द्वारा अभियोजन के विचाराधीन आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-311 दप्रसं0 दि.-7/8/15 का निराकरण किया जा रहा है ।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गये आवेदनपत्र

का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रकरण में अनुसंधान के समय घटना से संबंधित अपहृता कुमारी प्रीति आरोपिया के भाई धर्मवीरसिंह के साथ कहीं रह रही थीं, इसलिये विवेचना के दौरान अपहृता कुमारी प्रीति के कथन नहीं लिये जा सके थे और इसी कारण विचारण कार्यक्रम में भी उसका नाम नहीं लिखा गया था । किन्तु जब प्रकरण में आरोपिया की ओर से बचाव साक्ष्य में अपहृता कुमारी प्रीति का धारा-164 दफ़्ता के कथन पेश हुआ उससे यह ज्ञात हुआ कि अपहृता आरोपिया के भाई धर्मवीर सिंह के चंगुल से मुक्त हो चुकी है तथा धर्मवीरसिंह के विरुद्ध अपर सत्र

न्यायालय श्री डी.सी. थपलियाल साहब के न्यायालय में इसी घटना का अभियोगपत्र संचालित है, जिसमें अपहृता का कथन है और वह प्रकरण के लिए महत्वपूर्ण साक्षी है । जिसके न्यायिक निराकरण के लिए प्रकरण में साक्ष्य ली जाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिये अपहृता कुमारी प्रीति का नाम विचारण कार्यक्रम में जोड़े जाने एवं उसे साक्ष्य हेतु तलब किया जावे साथ ही श्री डी.सी. थपलियाल अपर सत्र

न्यायालय गोहद के न्यायालय में संचालित सत्रवाद क्र. —106/14 पुलिस एण्डोरी विरुद्ध धर्मवीरसिंह का अभिलेख भी तलब किए जाने की प्रार्थना की ।

आरोपिया की ओर से जबाब प्रस्तुत कर खण्डन करते हुए लेख किया है कि इस प्रकरण में कथित अपराध की अपहृता प्रीति दि.-7/1/15 को अभिलेख के अनुसार थाना एण्डोरी पर बरामद हो चुकी थी, जिसका पुलिस द्वारा उक्त दि. को ही मेडीकल परीक्षण कराया गया था तथा दि.-8/1/15 को उसका धारा-164 द.प्र.सं. के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन भी कराया गया था । उक्त दि. को ही रेडियोलॉजिस्ट डा. आर.के. सिंह भिण्ड के द्वारा भी मेडीकल परीक्षण किया गया था जिसकी अभियोजन को तत्समय से ही पूर्ण जानकारी रही है और धर्मवीर के विरुद्ध अभियोगपत्र पुलिस द्वारा पेश किया गया है । पुलिस के समक्ष ही प्रीति का कथन लिया जाना बताया गया है। अभिलेखानुसार प्रीति को बरामद हुए करीब 8 माह का समय व्यतीत हो चुका है किन्तु इस दौरान अभियोजन की ओर से प्रीति को साक्षी के तौर पर कथन कराने एवं उसका विचारण कार्यक्रम में नाम जोड़ने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया । जबकि इस दौरान अभियोजन की ओर से कुमारी शालू व मुकेश के कथन भी अभिलेख पर कराये गये । जिन्होंने भी प्रीति का अपने पिता प्रेमसिंह के घर पर होना बताया था और यह अभियोजन की जानकारी में आ गया था । प्रीति की नानी मुन्नीदेवी का भी दि.-6/7/15 को ही कथन हुआ उसमें भी प्रीति के बारे में घर आ जाने की जानकारी बतायी गयी थी । प्रीति के बरामद होने के बाद से अबतक 13 पेशियों में कार्यवाही हो चुकी है किन्तु अभियोजन की ओर से पर्याप्त अवसर होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी और प्रकरण में विचारण समाप्त अंतिम तर्क सुने जाने के पश्चात निर्णय हेतु प्रकरण नियत होने के पश्चात आवेदनपत्र दुर्भावनापूर्वक जानबूझकर प्रस्तुत किया है जिसका कोई विधिक औचित्य नहीं रहा है इसलिये आवेदनपत्र सव्यय निरस्त किया जावे ।

अभियोजन की ओर से विद्वान एजीपी एवं आरोपिया

की ओर से श्री गुर्जर अधि. द्वारा आवेदन व जवाब के अनुरूप ही तर्क करते हुए ए.जी.पी. ने यह तर्क भी किया है कि निर्णय के पूर्व किसी भी प्रक्रम पर किसी भी साक्षी को आहूत किया जा सकता है । पूर्व परीक्षित साक्षी को पुनः परीक्षा के लिए भी उक्त प्रावधान के अनुसार न्यायपूर्ण निराकरण के लिए आहूत किया जा सकता है । बचाव पक्ष की ओर से जब अपहृता प्रीति का धारा-164 द.प्र.सं. का कथन और उसकी आयु संबंधी मेडीकल रिपोर्ट पेश की गयी जिससे वास्तविक जानकारी हुई थी, और अपहृता प्रकरण के लिए सर्वाधिक महत्व की साक्षी है, उसके कथन के बिना न्यायपूर्ण निराकरण संभव नहीं है, इसलिये आवेदन सदभावनापूर्ण है । क्योंकि धर्मवीर का जो सत्रवाद पेश हुआ है वह अन्य न्यायालय में संचालित होने से वास्तविक जानकारी अभियोजन को नहीं हो पायी, इसलिये आवेदनपत्र स्वीकार किया जावे । जबकि श्री गुर्जर अधि. द्वारा अपने तर्कों में विरोध करते हुए यह तर्क किया है कि अभियोजन को अपनी किसी कमी या लोप की पूर्ति करने की अनुमति उक्त प्रावधान के अंतर्गत प्रदान नहीं की जा सकती है तथा पर्याप्त से अधिक अवसर अभियोजन को प्राप्त हो जाने के बावजूद उनका कार्यवाही न करना दुर्भावना को दर्शाता है और अभियोजन ऐनकेन प्रकारेण प्रकरण को मात्र बिलवित बनाये रखना चाहता है, जबकि आरोपिया का शीघ्र

निराकरण संवैधानिक अधिकार है जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है । इसलिये आवेदनपत्र निरस्त कर निर्णय किया जावे । बचाव पक्ष के विद्वान अधि० द्वारा दो न्याय दृ० भी अपने तर्कों के संबंध में पेश किए गये जिनका आगे विश्लेषण में उल्लेख किया जावेगा ।

धारा-311 द.प्र.सं. के उपबंध मुताबिक —

कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच,

विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है; और यदि न्यायालय को मामले के न्याय संगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसा व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।

मूल अभिलेख के परिशीलन से यह तो स्पष्ट है कि इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सत्रवाद के माध्यम से श्रीमती आशा का विचारण किया जा रहा है और उसके भाई धर्मवीर का विचारण जो कि इसी अपराध का मुख्य आरोपी बताया गया है, उसका विचारण श्री डी.सी. थपलियाल अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद के न्यायालय में पृथक से संचालित है जिसका पूरक अभियोगपत्र बाद में पेश हुआ। इस प्रकरण का जो अभियोगपत्र उपार्पित होकर माननीय सत्र न्यायालय सत्र खण्ड भिण्ड से अंतरित होकर प्राप्त हुआ था तब तक अपहृता कुमारी प्रीति बरामद नहीं हुई थी, इसलिये अभिलेख पर प्रीति के संबंध में तथ्यपरक जानकारी नहीं थी। हालांकि जैसा कि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपहृता दि.-7/1/15 को बरामद हुई। उसके पश्चात इस प्रकरण में अ.सा.-7 लगायत-अ.सा.-09 के अभिसाक्ष्य हुए जिनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में प्रीति के संबंध में जानकारी मौखिक रूप से तो आयी थी किन्तु जब बचाव साक्ष्य में आरोपिया ने स्वयं का साक्ष्य कराया और अपने समर्थन में अपहृता कुमारी प्रीति के न्यायिक मजि0 के समक्ष हुए धारा-164 द.प्र.सं. के कथन की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि एवं उसकी आयु के संबंध में ऑसिफिकेशन टेस्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि साक्ष्य में पेश की गयी, जिसके आधार पर अभियोजन द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है।

यह सही है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र

बिलंव से प्रस्तुत हुआ है क्योंकि पुलिस द्वारा अपहृत कुमारी प्रीति को बरामद करने के पश्चात अभियोजन को जानकारी दी जानी चाहिये थी, और ऐसी जानकारी देने पर ए.जी.पी. द्वारा कार्यवाही की जा सकती थी, किन्तु केवल बिलंव के आधार पर कोई भी आवेदनपत्र निरस्त किया जाना विधि संबत व न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। धारा-311 का ऊपर वर्णित उपबंध मुताबिक—

किसी जांच विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर आहूत किया जा सकता है, चूंकि कुमारी प्रीति इस प्रकरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी है क्योंकि अपहृता ही मूल घटना और उसमें आरोपिया की कोई सहभागिता रही या नहीं रही, इसका स्पष्ट ब्यौरा दे सकती है, बचाव पक्ष भी अपनी यथोचित प्रतिरक्षा कर सकता है क्योंकि उसे भी साक्षी के तौर पर परीक्षित होने पर प्रतिपरीक्षा का समुचित अवसर प्राप्त होगा । ऐसी स्थिति में बिलंव के आधार पर आवेदनपत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है ।

जहां तक ये प्रश्न उठाया गया है कि अभियोजन आवेदनपत्र के माध्यम से अपनी कमी की पूर्ति करना चाहता है । इस कारण स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यदि धर्मवीर के विरुद्ध जो सत्र विचारण संचालित हुआ है, वह भी यदि किसी मामले में समाहित हो जाता है तो यह स्थिति निर्मित नहीं होगी । किन्तु उसके पृथक से संचालित होने के

कारण यह स्थिति निर्मित हुई है ऐसे में अभियोजन का आवेदनपत्र दुर्भावना पर आधारित होना भी नहीं माना जा सकता है और प्रकरण के न्यायोचित निराकरण के लिए सर्वाधिक महत्व की साक्षी अपहृता कुमारी प्रीति का प्रकरण में साक्षी के तौर पर आहूत किया जाना विधि सम्बत व न्यायसंगत होना प्रतीत होता है ।

जहां तक बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा

प्रस्तुत किए गये न्याय दृष्टांत सौधान विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी.1989 भाग-2 एम.पी. वीकली नोट शॉर्ट नोट-233 पेश किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धारा-311 द.प्र.सं. के संबंध में यह मार्गदर्शन दिया है कि यदि न्यायालय द्वारा प्रत्येक सहायता देने पर भी अभियोजन द्वारा अपनी साक्षियों का परीक्षण नहीं कराया जा सका हो तो उक्त प्रावधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति को न्यायालयीन साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है । न्याय दृष्टांत के मामले में ए.पी.पी. द्वारा धारा-311 के तहत तीन साक्षियों को आहूत करने की प्रार्थना की गयी थी जिसे विचारण न्यायालय ने निरस्त किया था और उसकी दाण्डिक पुनरीक्षण याचिकाकर्ता द्वारा सत्र न्यायालय में व्यक्तिगत हैसियत से की गयी थी जिसे सत्र न्यायालय द्वारा कोई अधिकारिता न होने के आधार पर निरस्त हुआ था इस कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धारा-482 द.प्र.सं. की अंतर्निहित शक्तियों के तहत सहायता प्रदान करने से इस आधार पर इंकार किया गया था कि जहां कोई उपबंध स्पष्ट न हों वहां धारा-482 द.प्र. सं. के तहत कार्यवाही की जा सकती है । इस मामले में उक्त न्याय दृष्टांत इस कारण बचाव पक्ष को लाभकारी नहीं है, कि अभियोजन की ओर से बचाव साक्ष्य में स्थिति स्पष्ट होने पर आवेदनपत्र पेश किया, हालांकि वह निर्णय दिनांक को पेश किया है, और बिलंव के संबंध में ऊपर ही निष्कर्ष दिया जा चुका है तथा न्याय दृष्टांत की और इस मामले की परिस्थितियां भिन्नतापूर्ण है क्योंकि विचाराधीन मामले में सर्वाधिक महत्व की साक्षी अपहृता जो कि प्रकरण के लिए पीडित पक्षकार है उसी के कथन के लिए प्रार्थना की गयी है । इसी कारण अभियोजन के आवेदनपत्र को किसी लोप या कमी की पूर्ति के उद्देश्य के होना नहीं माना जा सकता है । जैसा कि बचाव पक्ष के विद्वान अधि० द्वारा प्रस्तुत किए गये दूसरे न्याय दृष्टांत दिलीपत विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी.-1991 भाग-1 एम.पी.वीकली नॉट शॉर्ट नोट 227 में मार्गदर्शित किया है ।

न्याय दृ० के मामले में पूर्व परीक्षित चिकित्सक को पीडिता

के परीक्षण पश्चात एडवांस प्रेगनेन्सी के बिन्दु पर पुनः परीक्षा हेतु प्रार्थना की गयी थी ।

इस प्रकार से दोनों प्रस्तुत न्याय दृ० इस प्रकरण में लागू किए जाने योग्य भिन्न परिस्थितियों के कारण नहीं हैं और अभियोजन को अपहृता का साक्षी के तौर पर आहूत किए जाने का निवेदन स्वीकार किए जाने योग्य पाया जाता है तथा चूंकि अपहृता का कथन मूल आरोपी धर्मवीर के मामले में संलग्न बताया गया है इसलिये श्री डी.सी. थपलियाल अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के न्यायालय का सत्रवाद प्रकरण-106/2014 शा०विरुद्ध धर्मवीर को भी नियत दि० के पूर्व मांगपत्र भेजकर आहूत किया जावे ।

तदनुसार आवेदनपत्र धारा-311 द.प्र.सं. **स्वीकार** करते हुए निराकृत किया जाता है। अभियोजन कुमारी प्रीति का नाम विचारण कार्यक्रम में जोड़कर जरिये संमंस आहूत कराये ।

प्रकरण कुमारी प्रीति के कथन व अभिलेख प्राप्ति हेतु दिनांक-28/08/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री बी०एस०बघेल आरोपी साहब सिंह न्यायिक अभिरक्षा से पेश द्वारा श्री के.सी. उपाध्याय अधिवक्ता ।

आरोपीगण सहित श्री के०सी० उपाध्याय एड० एवं श्री अवधेशसिंह कुशवाह एड० ।

प्रकरण निर्णय हेतु नियत है ।

निर्णय प्रथक से टंकित कराया जाकर घोषित किया गया । निर्णयानुसार आरोपीगण को आरोपित अपराध धारा-4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा-498-ए तथा 304-बी भा0द0वि0 के अपराध में दोषी पाया गया है ।

प्रकरण दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु थोड़ी देर बाद पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री बी0एस0बघेल आरोपी साहब सिंह न्यायिक अभिरक्षा से पेश द्वारा श्री के.सी. उपाध्याय अधिवक्ता ।

आरोपीगण सहित श्री के0सी0 उपाध्याय एड0 एवं श्री अवधेशसिंह कुशवाह एड0 ।

प्रकरण में दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्षों को सुना गया । दी गयी दण्डाज्ञा अनुसार आरोपीगण को धारा-4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2500-2500/-रूपये के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड अदा न किए जाने पर कमशः तीन तीन माह के साधारण कारावास से तथा धारा-498(ए) भादवि में आरोपीगण को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2500-2500/-रूपये के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड अदा न किए जाने पर कमशः छः-छः माह के साधारण कारावास से तथा धारा-304(बी) भादवि में आरोपीगण को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है ।

आरोपीगण का सजा वारण्ट बनाया जावे एवं धारा-428 द.प्र.सं. के उपबंध मुताबिक आरोपी साहब सिंह द्वारा विचारण के दौरान भोगी गयी दिनांक-03/12/2013 से वर्तमान तक, आरोपी देवेन्द्र द्वारा विचारण के दौरान भोगी गयी दिनांक-05/05/2014 से 20/07/2014 तक, आरोपी प्रेमसिंह द्वारा विचारण के

दौरान भोगी गयी दिनांक-05/05/2014 से 20/07/2014 तक आरोपिया मुन्नीदेवी द्वारा विचारण के दौरान भोगी गयी दिनांक-15/09/2014 से दि-23/12/2014 तक एवं तथा आरोपिया किरन द्वारा विचारण के दौरान भोगी गयी निरंक की अवधि, तथा आरोपिया बेबी द्वारा विचारण के दौरान भोगी गयी निरंक की अवधि समायोजित की जावे, प्रमाणपत्र सजा वारण्ट के साथ संलग्न हो। आरोपीगण को सभी सजायें एक साथ भुगतायी जावें।

आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए गये।

प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति मृतिका का बिसरा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किए जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय का आदेश मान्य होगा।

निर्णय की प्रति आरोपीगण को निशुल्क प्रदान की गयी।

निर्णय की एक प्रति डी.एम. भिण्ड की ओर भेजी जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा जावे।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल।

आरोपीगण रूपसिंह व पानसिंह न्यायिक अभिरक्षा से पेश, उसकी ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

आरोपी जीवन न्यायिक अभिरक्षा से पेश द्वारा श्री सागर सिंह कंसाना अधिवक्ता ।

शेष आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा से पेश द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता ।

अभियोजन साक्ष्य में साक्षी पटवारी मुरारीलाल श्रीवास्तव उपस्थित है, उसे शपथ दिलाई जाकर अ.सा.-4 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया । साक्षीगण ए.एस.आई. आशाराम गाँड, ए.एस.आई. फिलोमैन के संमंस व प्र.आर. संतोष तिवारी का जमानती वारण्ट बाद तामील प्राप्त, साक्षीगण पुकार पर अनुपस्थित, उन्हें पांच-पांच सौ रूपये के जमानती वारण्ट एवं गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया जावे । साक्षी आरक्षक नवरी सिंह का जमानती वारण्ट अदम प्राप्त, पुनः उसी वारण्ट पर तिथि बदली जाकर दिया जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक-20, 21, 23 एवं 24 नवंबर 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य की ओर से ए.जी.पी. श्री बी.एस.बघेल उप. ।

आरोपी छविराम, प्रकाश व रामप्रकाश सहित श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता ।

प्रकरण बचाव साक्ष्य हेतु नियत है ।

बचाव साक्ष्य में साक्षीगण बिसंभर एवं अजमेर सिंह उपस्थित, उन्हें शपथ दिलाई जाकर कमशः व.सा.-1 व 2 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

आरोपीगण ने शेष साक्ष्य पेश करने हेतु समय चाहा, न्यायहित में दिया गया, आगामी दिनांक पर आरोपीगण अपनी संपूर्ण साक्ष्य अति आवश्यक रूप से उपस्थित रखें ।

आरोपीगण आदेश दिनांक-15/07/2015 के पालन

में धारा-437 (क) जा.फौ. के अंतर्गत 20-20 हजार रुपये की जमानत आगामी दिनांक पर अति आवश्यक रूप से पेश करें ।

प्रकरण बचाव साक्ष्य एवं जमानत प्रस्तुति हेतु दिनांक-21/08/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी०एस० बघेल ।

आरोपीगण सहित श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है । साक्षीगण डॉ दत्ता एवं डॉ ए.के. डगरा के संमंस बाद तामील प्राप्त, साक्षीगण पुकार पर अनुपस्थित, उन्हें पांच पांच सौ रुपये के जमानती वारण्ट धारा-350 जा.फौ. के नोटिस के साथ प्रबंधक सहारा अस्पताल, ग्वालियर के माध्यम से जारी हो ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक—.

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

ए.जी.पी. श्री भगवान सिंह बघेल ने एक अन्य आवेदनपत्र धारा—311 जा.फौ. का पेश किया, नकल आरोपीगण के अधिवक्ता को प्रदान की गयी, उन्होंने उक्त आवेदनपत्र के जवाब तर्क हेतु समय चाहा, न्यायहित में दिया ।

प्रकरण धारा—311 द.प्र.सं. के आवेदनपत्र के जवाब तर्क हेतु दिनांक—13 अगस्त 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल ।

आरोपिया सहित श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता ।

प्रकरण बचाव साक्ष्य एवं जमानत प्रस्तुति हेतु नियत है ।

आरोपिया की ओर से जमानत प्रस्तुत नहीं की गयी, जमानत प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, न्यायहित में आगामी दिनांक पर अति आवश्यक रूप से पेश करने हेतु निर्देशित किया गया ।

आरोपिया की ओर से धारा—315 जा.फौ. का

आवेदनपत्र पेशकर बचाव साक्ष्य में स्वयं का कथन करने हेतु अनुमति दिये जाने का निवेदन किया । समर्थन में सूची अनुसार दस्तावेज पेश किए हैं ।

आवेदनपत्र पर सुना गया । बाद विचार आरोपिया आशा की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र धारा-315 जा.फौ. स्वीकार किया जाकर बचाव साक्ष्य में शपथ पर कथन करने की अनुमति दी जाती है ।

बचाव साक्ष्य में स्वयं आरोपिया को शपथ दिलाई जाकर व.सा.-1 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

आरोपी अधिवक्ता ने बचाव साक्ष्य समाप्त घोषित की, अतः बचाव साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है ।

प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया जाता है ।

प्रकरण अंतिम तर्क एवं जमानत प्रस्तुति हेतु 04 अगस्त 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी.।

आरोपीगण सहित श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।

प्रकरण जमानत प्रस्तुति एवं अभियुक्त परीक्षण हेतु नियत है ।

आरोपीगण की ओर से जमानतदार श्रीराम पिता गिरधारीलाल आयु 60 साल निवासी ग्राम पिपहाडी परगना गोहद ने एवं आरोपीगण की ओर से जमानतदार उपस्थित होकर धारा-437 (क) जा.फौ. के अंतर्गत **तीस तीस हजार** की जमानतें पेश की, जमानतदारों की पहचान श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता ने की, जमानत विधि अनुकूल होने से स्वीकार की जाती है जो कि निर्णय दिनांक से आगामी छः माह तक के लिए प्रभावी रहेगी ।

इसी स्टेज पर फरियादी रामनाथ सिंह पुत्र गरीबेसिंह की ओर से श्री सतीश मिश्रा अधिवक्ता ने एक

आवेदनपत्र धारा-301 {2} जा.फौ. का मय वकालतनामा के पेश किया । आवेदनपत्र पर सुना गया ।

बाद विचार श्री सतीश मिश्रा अधिवक्ता को फरियादी की ओर से पक्ष समर्थन करने की अनुमति अभियोजन के निर्देशन में प्रदान की जाती है ।

श्री बी.एस. बघेल ए.जी.पी. की ओर से एक अन्य आवेदनपत्र धारा-311 जा.फौ. का पेश किया, नकल आरोपीगण अधिवक्ता को दी गयी, उन्होंने उक्त आवेदनपत्र के जवाब तर्क हेतु समय चाहा, न्यायहित में दिया गया ।

प्रकरण में धारा-311 जा.फौ. के आवेदनपत्र के लंबित रहने के कारण आज अभियुक्त परीक्षण नहीं किए गये ।

प्रकरण धारा-311 जा.फौ. के आवेदनपत्र पर जवाब तर्क हेतु दिनांक-31/7/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

निगरानीकर्ता द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थीगण द्वारा श्री एम.पी.एस राणा अधिवक्ता ।

निगरानीकर्ता अधिवक्ता ने प्रकरण में मूल प्रकरण का निराकरण हो जाना बताया है, एवं आवेदक का फौत हो जाना व्यक्त किया है । अतः उभयपक्ष अधिवक्ता की सहमति से उभयपक्ष अधिवक्ता के अंतिम तर्क श्रवण किए गये ।

प्रकरण अंतिम आदेश हेतु लंच समय पश्चात पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र

लंच समय पश्चात—

निगरानीकर्ता द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थीगण द्वारा श्री एम.पी.एस राणा अधिवक्ता ।
आदेश प्रथक से टंकित कराया जाकर घोषित किया
गया, आदेशानुसार निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी
निरस्त की गयी ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा
हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

निगरानीकर्ता द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अधिवक्ता ।
निगरानीकर्ता अधिवक्ता ने प्रकरण में मूल प्रकरण का
निराकरण हो जाना बताया है, अतः निगरानीकर्ता अधिवक्ता
की सहमति से उभयपक्ष अधिवक्ता के अंतिम तर्क श्रवण
किए गये ।

प्रकरण अंतिम आदेश हेतु लंच समय पश्चात पेश
हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

पुनश्च

निगरानीकर्ता द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अधिवक्ता ।
आदेश प्रथक से टंकित कराया जाकर घोषित किया
गया, आदेशानुसार निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी
निरस्त की गयी ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा

हो।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

निगरानीकर्ता द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अधिवक्ता।
निगरानीकर्ता अधिवक्ता ने प्रकरण में मूल प्रकरण का
निराकरण हो जाना बताया है, अतः निगरानीकर्ता अधिवक्ता
की सहमति से उभयपक्ष अधिवक्ता के अंतिम तर्क श्रवण
किए गये।
प्रकरण अंतिम आदेश हेतु लंच समय पश्चात पेश
हो।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी०एस०
बघेल।
आरोपी कल्लू उर्फ महुसूदन सहित श्री आर०डी०
गुप्ता अधिवक्ता।
आरोपी गिरीश सहित श्री ए.बी. पाराशर अधिवक्ता।
आरोपी रामबरन सहित श्री के.सी. उपाध्याय अधि०।
आरोपी अनिल बिरथरिया केन्द्रीय जेल ग्वालियर से
पेश। उसकी ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।
अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित। साक्षीगण एस.आई.
गिरीश कवरेती, रामनिवास ओझा, ए.एस.आई. सुभाष
पाण्डेय, योगेन्द्र सिंह कुशवाह एवं प्र.आर. राजेन्द्र सिंह के
समंस बाद तामील प्राप्त। साक्षीगण पुकार पर अनुपस्थित,

अतः उन्हें पांच पांच सौ रुपये के जमानती वारण्ट से तलब किया जावे । साक्षी उदल सिंह का संमंस उसका पैर टूट जाने की टीप के साथ अदम प्राप्त, उक्त साक्षी को अभी तलब नहीं किया जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक—25, 26 व 27 अगस्त 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

पी0ओ0 महोदय के आकस्मिक अवकाश पर होने से मेरे समक्ष पेश ।

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी.।

आरोपी वकील सिंह अनुपस्थित, शेष आरोपीगण भूरे दशरथ, रामरूप सहित श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधि०।

आरोपी दुलारे के लिए प्रकरण दि०-2/12/2015 को पूर्व से नियत है ।

आरोपीगण जवानसिंह, सोनू अनुपस्थित एवं शेष आरोपीगण रामवीर, करूआ सहित श्री जी.एस. गुर्जर अधि०।

अनुपस्थित आरोपी की ओर से प्रथक प्रथक हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किये, जो अंतिम रूप से इस निर्देश के साथ स्वीकार किये जाते हैं कि आगामी दिनांक पर आरोपी को 11:00 बजे न्यायालय में उपस्थित रखा जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

साक्षीगण को जारी तामीलें वापिस प्राप्त नहीं, इस संबंध में थाना प्रभारी को पत्र जारी हो । साक्षीगण को पूर्वानुसार तलब किया जावे ।

प्रकरण आरोपी दुलारे के संबंध में दिनांक-02/12/2015 एवं अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक-25/01/2016 को पेश हो ।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी०एस० बघेल ।

आरोपीगण रामरूप, भूरे, वकील, दशरथ, जवानसिंह, सोनू व रामवीर सहित श्री राजीव शर्मा अधिवक्ता ने

वकालतनामा पेश किया । आरोपीगण की ओर से श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता भी उपस्थित हैं ।

अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

अभियोजन साक्ष्य में साक्षीगण दिलीप, संदीप उपस्थित, उन्हें शपथ दिलाई जाकर क्रमशः अ.सा.-7 व 8 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया । साक्षीगण राजकुमार, ब्रजेश, वैजनाथसिंह व ए.एस.आई. राजपाल सिंह के संमंस बाद तामील प्राप्त, साक्षीगण पुकार पर अनुपस्थित, उन्हें पांच पांच सौ रूपये के जमानती वारण्ट से तलब किया जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु 16 व 17 जुलाई 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

2:40 पी.एम.

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी. ।

आरोपी सुरेश सिंह न्यायिक अभिरक्षा से पेश द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।

आरोपी देवेन्द्र स्वयं सहित श्री एम.एस. यादव अधि. ।

आरोपी रामगोविंद स्वयं सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधि.

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

पाबंद साक्षीगण उपस्थित नहीं, जरिये संमंस तलब हो ।

साक्षीगण आरक्षक उमेश शर्मा, सैनिक सुभाष, वीरेन्द्र सिंह व रामू के समंस बाद तामील प्राप्त । साक्षीगण पुकार पर अनपुस्थित, उन्हें पांच पांच सौ रुपये के जमानती वारण्ट से तलब किया जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत दि. -17/07/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल ।

आरोपी राजेश त्रिपाठी एवं आरोपिया सीमा अनुपस्थित द्वारा श्री के0के0 शुक्ला अधिवक्ता ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया जो बाद विचार इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आगामी दिनांक पर आरोपिया को अति आवश्यक रूप से उपस्थित रखा जावे ।

अभियोजन साक्ष्य में साक्षीगण रामविलास पाण्डेय तथा भगवतीचरण उपस्थित हैं, उन्हें शपथ दिलाई जाकर क्रमशः अ.सा.-13 व 14 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया । उक्त दोनों साक्षी अपने साथ विद्यालय का रजिस्टर लेकर उपस्थित हुए थे, जिनपर प्रदर्श अंकित करते हुए मूल रजिस्टर संबंधित साक्षी को वापिस किये गये ।

अपर लोक अभियोजन ने अपनी साक्ष्य समाप्त ँ गोषित की । अतः अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त

किया जाता है ।

प्रकरण अतिरिक्त अभियुक्त परीक्षण हेतु नियत किया जाता है।

प्रकरण अतिरिक्त अभियुक्त परीक्षण हेतु दि.
—30/11/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

श्री के.के. शुक्ला अधि. ने मौखिक रूप से निवेदन किया कि त्रुटिवश उनसे सुनने व समझने में गलती हो गयी है, श्री विनोद दीक्षित अधि. के परिवार में गमी नहीं हुई बल्कि उनके साले {पत्नी के भाई} की तबीयत अत्यंत गंभीर व नाजुक खराब होने से और उनके एम्स अस्पताल दिल्ली में भर्ती रहना बताया है ।

प्रकरण पूर्ववत् 31 जुलाई 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०

12:30 पी.एम.

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी.।

आरोपी सुरेश सिंह न्यायिक अभिरक्षा से पेश ।

आरोपी देवेन्द्र स्वयं उपस्थित ।

आरोपी रामगोविंद स्वयं उपस्थित ।

आरोपीगण से बिलंव से आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने मोटरसाइकिल की पेट्रोल खत्म हो जाना बताया। जिसपर आरोपीगण को भविष्य में अति आवश्यक रूप से न्यायालय में 11:00 बजे उपस्थित रहने हेतु आदेशित किया गया ।

प्रकरण में पाबंद साक्षियों को पुकार लगवायी गयी, किन्तु साक्षीगण पुकार पर उपस्थित नहीं हैं, अतः प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु साक्षियों के उपस्थित होने पर अथवा लंच समय पश्चात पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी.।

आरोपी सुरेश सिंह न्यायिक अभिरक्षा से पेश द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित ।

आरोपी देवेन्द्र सहित श्री एम.एस. यादव अधिवक्ता ।

आरोपी रामगोविंद सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

अभियोजन साक्ष्य में साक्षीगण संतोष, राजेन्द्र, कल्याण व संजीव उपस्थित । आरोपी अधिवक्ता श्री गुप्ता ने निवेदन किया कि उनके वरिष्ठ अधिवक्ता आज आवश्यक कार्य से बाहर गये हैं इसलिये साक्षीगण की साक्ष्य आज नहीं ली जावे, जिसपर ए.जी.पी. व उपस्थित साक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिये उपस्थित साक्षीगण को एक सौ-एक सौ रुपये हर्जे पर पाबंद किया जाता है, जो आरोपीगण सम्मिलित रूप से वहन करेंगे ।

साक्षी सुगमसिंह का संमंस बाद तामील प्राप्त, साक्षी पुकार पर अनुपस्थित, उसे पांच सौ रुपये के जमानती वारण्ट से तलब किया जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत् 16 जुलाई 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

अपीलार्थी/आरोपी परमाल अनुपस्थित ।

अपीलार्थी/आरोपी मुन्नालाल सहित श्री मुंशीसिंह यादव अधिवक्ता ।

आरोपी परमाल का गिरफ्तारी वारण्ट उसका पता नहीं चलने की टीप के साथ अदम प्राप्त ।

प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे अपीलार्थी/आरोपी परमाल का स्थाई पता ग्राम घुसियाना मुहल्ला मोदी मंदिर के पास थाना कोतवाली ललितपुर एवं हाल पता दीनदयाल नगर पानी की टंकी के अंदर अंकित है, अतः आरोपी परमाल को गिरफ्तारी वारण्ट इन्हीं पते के साथ जारी हो जिसपर अति आवश्यक रूप से गिरफ्तार कर पेश किए जाने की टीप लगायी जावे ।

शासन/प्रत्यर्थी द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी. पी. ।

प्रकरण आरोपी परमाल की उपस्थिति हेतु दिनांक-28/08/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी. ।
आरोपी इन्द्रजीत, नरसिंह एवं विनोद सहित श्री पी.
के. वर्मा एड. ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

साक्षी डॉ धीरज गुप्ता उपस्थित, उसे शपथ दिलाई
जाकर अ.सा.-3 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत
उन्मुक्त किया गया ।

शेष अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित ।

साक्षीगण रविन्द्र सिंह, लालसिंह, सोनू एवं आरक्षक
दिनेश के गिरफ्तारी वारण्ट अदम प्राप्त, पुनः अति
आवश्यक रूप से तामील करायी जाने की टीप के साथ
जारी हो ।

साक्षी विनीता की ओर से एक आवेदनपत्र श्री
कमलेश शर्मा अधि० ने उसका अचानक स्वास्थ्य खराब हो
जाने से साक्ष्य हेतु समय दिये जाने के निवेदन के साथ
पेश किया, जो बाद विचार स्वीकार किया जाकर साक्षी
विनीता को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित रखने के
निर्देशित किया गया ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक-21 व 22
जनवरी 2016 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.पी.पी. ।

आरोपीगण सहित श्री के.सी. उपाध्याय अधिवक्ता ।

प्रकरण बचाव साक्ष्य हेतु नियत है ।

बचाव साक्षीगण हरीशंकर व पुरुषोत्तम उपस्थित ।
उन्हें शपथ दिलाई जाकर वा.सा.-3 व 4 के रूप में परीक्षण
प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया । साक्ष्य के दौरान
प्रदर्श डी.-4 व 5 की मूल रसीदे पेश की, जिनकी
छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की जाकर उनपर प्रदर्श अंकित

कर मूल वापिस की गयीं ।

आरोपीगण अधिवक्ता ने एक अन्य अवसर बचाव साक्षियों को पेश करने बाबत चाहा है, बाद विचार एक अंतिम अवसर इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आगामी दि. पर आरोपीगण अपनी संपूर्ण साक्ष्य उपस्थित रखे अन्यथा बचाव साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जावेगा ।

प्रकरण बचाव साक्ष्य हेतु दिनांक-07/08/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी. ।

आरोपी महेन्द्र अनुपस्थित द्वारा एवं शेष आरोपीगण सहित श्री के.पी. राठौर एड. ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया जो बाद विचार स्वीकार इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आगामी दिनांक पर आरोपी को अति आवश्यक रूप से उपस्थित रखा जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

अभियोजन साक्ष्य में साक्षी दीपेश उर्फ पप्पू उपस्थित । उक्त साक्षी को शपथ दिलाई जाकर अ.सा.-15 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया । शेष अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित । साक्षीगण रणवीर सिंह का जमानती वारण्ट बाद तामील पेश, साक्षी पुकार पर अनुपस्थित उसे गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया जावे ।

साक्षी विष्णू गिरी का जमानती वारण्ट अदम प्राप्त, पुनः जारी हो ।

प्रकरण में दिनांक-25/09/2015 की तिथि आगामी नियत है । माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक-25/9/15 का सार्वजनिक अवकाश ईद के उपलक्ष्य में घोषित होने एवं उक्त दिनांक के प्रकरण सुनवाई में 28/9/15 को रखे जाने से इस प्रकरण में

तिथि 25/9/15 निरस्त की जाकर दिनांक-28/9/15 रखी जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक-28 सितंबर 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल ।

आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन सहित श्री आर0डी0 गुप्ता अधिवक्ता ।

आरोपी गिरीश सहित श्री ए.बी. पाराशर अधिवक्ता ।

आरोपी अनिल बिरथरिया केन्द्रीय जेल ग्वालियर से पेश । उसकी ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है । अभियोजन साक्ष्य में साक्षी जितेन्द्र सिंह आरक्षक 1142 उपस्थित, उसे शपथ दिलाई जाकर अ.सा.-6 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

आरक्षक जितेन्द्र सिंह क्रमांक-1036 का संमंस बाद तामील प्राप्त, साक्षी पुकार पर अनुपस्थित, उसे पांच सौ रुपये का जमानती वारण्ट जारी हो ।

साक्षी ए.एस.आई. सुभाष पाण्डेय का संमंस अदम प्राप्त । पुनः जारी हो ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक-13 व 14 अगस्त 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

शासन द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल ए.जी.पी.।
परिवादी श्रीमती कमला द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव
अधिवक्ता।

आरोपी आनंद सहित श्री सतीश मिश्रा अधिवक्ता।
आरोपी रामकुमार अनुपस्थित द्वारा श्री हृदेश शुक्ला
अधि. ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया, जो इस
निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आगामी दिनांक
पर आरोपी को अति आवश्यक रूप से उपस्थित रखा जावे।
आरोपी अधिवक्ता श्री हृदेश शुक्ला ने आरोप तर्क
हेतु समय चाहा, न्याय हित में दिया गया।
प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक-06/11/2015
2015 को पेश हो।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

निगरानीकर्ता द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अधिवक्ता।
निगरानीकर्ता अधिवक्ता ने प्रकरण में मूल प्रकरण का
निराकरण हो जाना बताया है, इस संबंध में प्रमाण अवश्य
पेश नहीं किया है, निगरानीकर्ता अधिवक्ता की सहमति से
उभयपक्ष अधिवक्ता के अंतिम तर्क श्रवण किए गये।
प्रकरण अंतिम आदेश हेतु दिनांक-24 जून 15 को
पेश हो।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0
बघेल।

आरोपी भानू सहित श्री के.के. शुक्ला अधि.।
शेष आरोपीगण सहित श्री उदल सिंह गुर्जर
अधिवक्ता।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित।

साक्षी अमरनाथ वर्मा को जारी तामील वापिस प्राप्त नहीं। साक्षी रामनरेश सिंह को जारी गिरफ्तारी वारण्ट पता नहीं चलने की टीप के साथ अदम प्राप्त, पुनः तामीलें इस निर्देश के साथ जारी की जावें कि आगामी दिनांक पर साक्षियों को अति आवश्यक रूप से उपस्थित रखा जावे। प्रकरण में मात्र दो साक्षी शेष हैं। अदम की दशा में वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा जावेगा।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक-20/01/16 को पेश हो।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी.।

आरोपी मातादीन सहित एवं शेष आरोपीगण संजु दिनेश, मलखान, श्रीमती सरजू, बनवारी, धर्मेन्द्र, रामपाल एवं सुरजीत अनुपस्थित द्वारा श्री के.सी. उपाध्याय एड. ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया।

आरोपीगण राकेश एवं गुड्डा अनुपस्थित द्वारा श्री सुनील कांकर अधि ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया।

अनुपस्थित आरोपीगण की ओर से प्रथक प्रथक हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश जो बाद विचार इस निर्देश के साथ स्वीकार किए जाते हैं कि आगामी दिनांक पर आरोपीगण को अति आवश्यक रूप से उपस्थित रखा जावे।

आरोपी/आवेदक मलखान सिंह की आयु संबंधी निर्धारण के संबंध में आदेश प्रथक से टंकित कराया जाकर पारित किया गया, आदेशानुसार आरोपी/आवेदक मलखान

की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र दिनांकित 22/7/2014 स्वीकार किया जाकर आवेदक मलखान को अपचारी बालक/किशोर घटना दिनांक को माना गया है, इसलिये आवेदक मलखान का प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड भिण्ड की ओर विचारण हेतु पेश करने हेतु अभियोजन को निर्देशित किया गया । सूचना किशोर न्याय बोर्ड, भिण्ड एवं माननीय सत्र न्यायालय, भिण्ड की ओर भेजी जावे ।

आरोपी/आवेदक मलखान का नाम इस न्यायालय में प्रस्तुत अभियोगपत्र से डिलीट किया जावे ।

प्रकरण शेष आरोपियों के संबंध में आरोप तर्क हेतु नियत किया जाता है ।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक-03/09/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी.।

आरोपीगण सहित श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।

अभियोजन साक्षी डॉ जयश्री दत्ता उपस्थित । साक्षी को शपथ दिलाई जाकर अ.सा.-14 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

अपर लोक अभियोजन ने अपनी साक्ष्य समाप्त घोषित की । अतः अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है ।

प्रकरण अतिरिक्त अभियुक्त परीक्षण हेतु नियत किया जाता है ।

प्रकरण अतिरिक्त अभियुक्त परीक्षण हेतु दि.

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी. ।
आरोपीगण राजेश त्रिपाठी एवं सीमा सहित श्री
विनोद दीक्षित अधिवक्ता ।

प्रकरण अभियुक्त परीक्षण हेतु नियत है ।

आरोपीगण का धारा-313 जा0फौ0 के अंतर्गत
परीक्षण किया गया, बचाव साक्ष्य में प्रवेश कराया गया,
बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया । अतः प्रकरण बचाव साक्ष्य
हेतु नियत किया जाता है ।

इसी समय अपर लोक अभियोजक श्री बघेल ने एक
आवेदनपत्र धारा-311 जा.फौ. का पेश किया, नकल
आरोपीगण अधिवक्ता को दी गयी । आरोपीगण अधिवक्ता
श्री दीक्षित ने जबाब तर्क हेतु समय चाहा, न्याय हित में
दिया गया ।

प्रकरण धारा-311 जा.फौ. के जवाब तर्क हेतु
25/05/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,

प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड के आदेश से इस न्यायालय में विधिवत अंतरण पर प्राप्त हुआ।

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी.।

आरोपी संदीप सहित श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधि० ने वकालतनामा पेश किया।

आरोपी प्रदीप न्यायिक अभिरक्षा से पेश नहीं द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

आरोपी रविन्द्र अनुपस्थित द्वारा श्री श्रीवास्तव अधिवक्ता ने मेमो पेश किया एवं हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया, दर्शित कारण उचित होने से बाद विचार अति आवश्यक रूप से पेश करने के निर्देश के साथ आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है।

आरोपीगण अधिवक्ता ने आरोप तर्क हेतु समय चाहा, न्याय हित में दिया गया।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक—09/09/2015 को पेश हो।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी०एस० बघेल।

आरोपी राजेश त्रिपाठी सहित एवं आरोपिया सीमा अनुपस्थित द्वारा श्री के०के० शुक्ला अधिवक्ता ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया जो बाद विचार स्वीकार किया जाता है।

अभियोजन की ओर से एक आवेदनपत्र धारा—311 जा.फौ. पेश किया गया, नकल अधिवक्ता श्री के.के. शुक्ला

अधिवक्ता को दी गयी । उन्होंने जवाब तर्क हेतु समय चाहा न्यायहित में दिया गया ।

श्री बघेल ए.जी.पी. ने एक अन्य आवेदनपत्र पेश करते हुए वांछित जानकारी पेश करने हेतु समय दिये जाने का निवेदन किया है, समर्थन में राज्य परीक्षक विवादास्पद प्रलेख, पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल म.प्र. को भेजे गये पत्र की प्रति व डाक द्वारा भेजे गयी रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत की है । बाद विचार आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु समय दिया जाता है ।

प्रकरण दिनांक-16/5/15 के धारा-311 जा.फौ. आवेदनपत्र के तर्क हेतु दिनांक-06/07/15 के धारा-311 जा.फौ. के आवेदनपत्र के जवाब तर्क हेतु दिनांक-16 जुलाई 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च-

आरोपी गंगासिंह द्वारा अर्थदण्ड की राशि पांच हजार रुपये जमा की गयी, जो बुक नंबर-40536 एवं रसीद क्रमांक-53 पर जमा की गयी ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी. ।

आरोपीगण रमेश एवं दामोदर अनुपस्थित द्वारा एवं

शेष आरोपीगण सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया जो बाद विचार स्वीकार किया जाता है ।

बचाव साक्ष्य में साक्षी दिनेश शर्मा बचाव साक्षी क्र. —1 को परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

आरोपीगण की ओर से एक अन्य आवेदनपत्र पेशकर बचाव साक्ष्य में साक्षीगण मोहनलाल शर्मा, योगेश देशमुख, यशपाल सिंह जाट, अशोक अर्गल को जर्ये संमंस बचाव साक्ष्य में तलब किए जाने संबंधी निवेदन किया है ।

जिसका मौखिक जवाब ए.जी.पी. की ओर से करते हुए व्यक्त किया कि इस संबंध में पूर्व में भी न्यायालय द्वारा आवेदनपत्र निरस्त किया जा चुका है केवल बिलंव करने के लिए आवेदनपत्र दिया है, जो निरस्त किए जाने का निवेदन किया है ।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि अभियोजन की ओर से आज परीक्षित किए गये साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आरोपी के साथ आकर कथन देने का प्रश्न पूछा गया है इसलिये भी साक्षियों को तलब किया जाना आवश्यक है ।

अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदनपत्र पर विचार किया गया । विचाराधीन आवेदनपत्र के माध्यम से साक्षीगण मोहनलाल शर्मा, योगेश देशमुख, यशपाल सिंह जाट, अशोक अर्गल को जरिये संमंस बचाव साक्ष्य के रूप में आहूत किए जाने की प्रार्थना की गयी है । इस संबंध में पूर्व में भी आवेदनपत्र दिया गया था, जो दिनांक—7/4/2015 को निरस्त किया गया था । साक्षी मोहनलाल शर्मा और योगेश देशमुख को प्रकरण में आहूत किए जाने की आवश्यकता न होना पूर्व आदेश में निष्कर्षित किया जा चुका है ।

जहां तक आवेदनपत्र में उल्लेखित साक्षी यशपाल सिंह जाट मैनेजर सैन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक शाखा बैरिया जिला भोपाल एवं अशोक अर्गल का प्रश्न है । अशोक अर्गल शासकीय सेवक नहीं है । यशपाल जाट को भी आरोपीगण स्वयं प्रस्तुत कर सकते हैं । पूर्व आदेश में स्पष्ट रूप से आरोपीगण द्वारा दी गयी सूची के साक्षियों को

आहूत किए जाने की आवश्यकता प्रतीत न होने से निष्कर्ष दिया गया था, जिसमें आज प्रस्तुत आवेदनपत्र के उल्लेखित साक्षी भी अंकित थे और दायिद्विक विचारण में पुनर्वावलोकन का प्रावधान नहीं है । पूर्व आदेश दि.-7/4/2015 में आवेदनपत्र निरस्ती का स्पष्ट कारा अंकित किया गया है, इसलिये आज प्रस्तुत आवेदनपत्र पूर्व आवेदनपत्र की पुनर्वावृत्ति के रूप में प्रतीत होता है, जो भी स्वीकार किए जाने योग्य न होने से वाद विचार निरस्त किया जाता है और बचाव पक्ष को शेष साक्ष्य पेश करने हेतु अंतिम अवसर इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि आगामी दिनांक पर अपनी संपूर्ण बचाव साक्ष्य पेश करें, अन्यथा बचाव साक्ष्य हेतु अन्य अवसर देना संभव न होगा ।

प्रकरण बचाव साक्ष्य हेतु दिनांक- 13 मई 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी. ।

आरोपी गण रामदुलारे एवं नवलकिशोर सहित श्री टी0एन0 शुक्ला अधिवक्ता ।

आरोपीगण का धारा-313 जा0फौ0 के अंतर्गत परीक्षण किया गया, बचाव साक्ष्य में प्रवेश कराया गया, बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया । अतः बचाव साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है ।

आरोपीगण रामदुलारे एवं नवलकिशोर की ओर से श्री शुक्ला अधिवक्ता ने एक आवेदनपत्र आज जमानत नहीं ला पाने से जमानत पेश करने हेतु समय दिये जाने बाबत पेश किया, जो बाद विचार स्वीकार किया जाता है, आरोपीगण आगामी दिनांक पर पूर्व आदेशानुसार अति आवश्यक रूप से पेश करें ।

उभयपक्ष अधिवक्ता के अंतिम तर्क श्रवण किए गये ।

प्रकरण निर्णय हेतु नियत किया जाता है ।
प्रकरण निर्णय हेतु 27 अप्रैल 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रत्यर्थी/शासन द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.
पी. ।

अपीलार्थी/आरोपी रामप्रकाश अनुपस्थित द्वारा श्री
के.पी. राठौर अधिवक्ता ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश
किया जो बाद विचार दर्शित कारण देखते हुए स्वीकार
किया जाता है ।

प्रकरण निर्णय हेतु नियत है । निर्णय प्रथक से
टंकित कराया जाकर घोषित किया गया, निर्णयानुसार
आरोपी/अपीलार्थी रामप्रकाश की दोषसिद्ध के बिन्दु पर
प्रस्तुत दाण्डिक अपील निरस्त की गयी एवं दण्डाज्ञा के
बिन्दु पर आरोपी/अपीलार्थी द्वारा भोगी गयी न्यायिक
निरोध की अवधि की सीमा तक दण्डाज्ञा को यथावत रखते
हुए शेष दण्डाज्ञा अपास्त की गयी है ।

अपीलार्थी/आरोपी के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत
मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का
अभिलेख इस टीप के साथ वापिस भेजा जावे कि फरार
आरोपी राजू उर्फ गटू के उपलब्ध होने पर शीघ्रता से
विचारण सुनिश्चित किया जावे । सह अभियुक्त राजू के

फरार होने को देखते हुए जब्त संपत्ति के संबंध में कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा किया जावे ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल ।

आरोपीगण सहित श्री जी0एस0 गुर्जर एड0 ।

आरोपीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय में पेश होने के लिए धारा-437 (क) जा.फौ. के अंतर्गत 50-50 हजार की जमानत पेश करें ।

प्रकरण अभियुक्त कथन एवं जमानत प्रस्तुति हेतु थोड़ी देर बाद पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल ।

आरोपीगण रामदुलारे एवं नवलकिशोर सहित श्री टी.एन. शुक्ला अधिवक्ता ।

आरोपीगण भीखाराम व सतेन्द्र फरार ।

प्रकरण निर्णय एवं जमानत प्रस्तुति हेतु नियत है ।

आरोपीगण की ओर से जमानतदार भागीरथ शर्मा पिता मोहनलाल उम्र 85 निवासी ग्राम पडरिया परगना गोहद ने उपस्थित होकर धारा-437 (क) जा.फौ. के अंतर्गत **एक-एक लाख** की जमानत पेश की, जमानतदार की पहचान श्री शुक्ला अधिवक्ता ने की, जमानत विधि अनुकूल होने से स्वीकार की जाती है ।

प्रकरण निर्णय हेतु थोड़ी देर बाद पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल ।

आरोपीगण रामदुलारे एवं नवलकिशोर सहित श्री टी.एन. शुक्ला अधिवक्ता ।

आरोपीगण भीखाराम व सतेन्द्र फरार ।

निर्णय प्रथक से टंकित कराया जाकर घोषित किया गया, निर्णय अनुसार आरोपीगण को आरोपित अपराध धारा -147, 294, 302/149 भा.द.वि. के अपराध से दोषमुक्त किया गया ।

आरोपीगण के जमानत मुचलके 6 माह पश्चात भारमुक्त समझे जावें ।

प्रकरण में संपत्ति जब्त नहीं है ।

आरोपीगण भीखाराम व सतेन्द्र के फरार होने से प्रकरण सुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ अभिलेखागार में जमा किया जावे ।

निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद

पुनश्च—

5:00 पी.एम.

थाना गोहद के मुंशी रविन्द्र है उसने आरोपी का नहीं मिलना व्यक्त किया एवं आरोपी के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है । अतः इस संबंध में पुलिस अधीक्षक भिण्ड को लिखा जावे ।

प्रकरण में आरोपी अधिवक्ता ने अंतिम तर्क हेतु समय चाहा, न्यायहित में दिया गया ।

प्रकरण अंतिम तर्क हेतु दिनांक—.....को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी. ।

आरोपीगण अनुपस्थित द्वारा श्री हृदेश शुक्ला एड. ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया जो बाद विचार स्वीकार किया जाता है ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित ।

साक्षीगण आरक्षक राजेश व राजीवर सिंह उपस्थित, उन्हें शपथ दिलाई जाकर क्रमशः अ.सा.—11 व 12 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया । साक्षी सैनिक हमीर सिंह का संमंस बाद तामील प्राप्त एवं साक्षी आरक्षक मूलचंद का जमानती वारण्ट बाद तामील प्राप्त । साक्षीगण पुकार पर अनुपस्थित । अतः उन्हें क्रमशः पांच सौ

रूपये के जमानती वारण्ट व गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत् 14 जुलाई 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल ।

आरोपी धर्मेन्द्र ग्वालियर से पेश एवं उसकी ओर से श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता अधिवक्ता ।

प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है ।

निर्णय प्रथक से टंकित कराया जाकर घोषित किया गया, निर्णय अनुसार आरोपी धर्मेन्द्र को आरोपित अपराध धारा- 25 (1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया गया ।

आरोपी के वारण्ट पर अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो रिहा किए जाने की टीप अंकित की जावे ।

प्रकरण में निराकरण के लिए जब्त संपत्ति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर विधिवत निराकरण के लिए भेजा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय अनुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे ।

निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये। निर्णय की प्रति के साथ संलग्न मूल प्रकरण वापिस हो ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी०एस० बघेल ।

आरोपी विजय तोमर सहित श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है ।

निर्णय प्रथक से टंकित कराया जाकर घोषित किया गया, निर्णय अनुसार आरोपी विजय तोमर को आरोपित अपराध धारा- 25 (1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया गया ।

आरोपी के जमानत मुचलके आगामी 6 माह के लिए प्रभावी रखे गये ।

प्रकरण में निराकरण के लिए जब्त संपत्ति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर विधिवत निराकरण के लिए भेजा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय अनुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये। निर्णय की प्रति के साथ संलग्न मूल प्रकरण वापिस हो ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी.।
आरोपीगण रिकू, अरविंद, हरदयाल, शिवनारायण
सहित श्री सुनील कांकर अधिवक्ता ।
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।
प्रकरण में साक्षी पूरनसिंह उपस्थित है, उसे शपथ
दिलाई जाकर अ0सा0-12 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण
उपरांत उन्मुक्त किया गया ।
साक्षीगण जे.पी. भट्ट का गिरफ्तारी वारण्ट बाद
तामील प्राप्त, साक्षी उपस्थित नहीं, पुनः 350 जा.फौ. के
नोटिस के साथ जारी हो ।
साक्षीगण एस.आई. शिवकुमार एवं लाखन सिंह
गिरफ्तारी वारण्ट अदम प्राप्त । पुनः जारी हो । साक्षी
गरीब सिंह का संमंस भी अदम प्राप्त, पुनः आवश्यक रूप से
तामील करायी जाने की टीप के साथ जारी हो ।
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु
दिनांक-30/09/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0
बघेल ।
संजू उर्फ संजीव द्वारा श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता
आरोपी बंटू उर्फ बंटी द्वारा श्री तेजनारायण शुक्ला
अधि0 ।

आरोपी गण दारा उर्फ धारा उर्फ सत्यदेव शर्मा एवं छोटे सिंह सिकरवार फरार ।

प्रकरण जमानत प्रस्तुति एवं निर्णय हेतु नियत है।

आरोपी संजू की ओर से जमानतदार तोताराम पुत्र काशीराम ब्राम्हण निवासी ग्राम चिराई ने एवं आरोपी बंटू की ओर से जमानतदार के साथ उपस्थित होकर धारा-437 (क) जा.फौ. के अंतर्गत प्रथक प्रथक **तीस तीन हजार** की जमानतें पेश की, जमानतदारों की पहचान क्रमशः श्री के0पी0 राठौर एवं श्री तेजनारायण शुक्ला अधिवक्ता ने की, जमानत विधि अनुकूल होने से स्वीकार की जाती है जो कि निर्णय दिनांक से आगामी छः माह तक के लिए प्रभावी रहेगी ।

प्रकरण निर्णय हेतु पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री बी0एस0बघेल आरोपीगण सहित श्री के0सी0 उपाध्याय एड0 एवं श्री अवधेशसिंह कुशवाह एड0 ।

अभियोजन साक्षी बलवंत उपस्थित उसे शपथ दिलाई जाकर अ.सा.-12 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया तथा साक्षी डॉ0 आलोक शर्मा उपस्थित उन्हें पुनः शपथ दिलाई जाकर उनका प्रतिपरीक्षण कथन अंकित कर प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

अभियोजन साक्षीगण एस0डी0ओ0पी0 अमरनाथ वर्मा का जारी समन्स बाद तामील वापिस प्राप्त किन्तु उक्त साक्षी पुकार पर अनुपस्थित। अतः उक्त साक्षी को 2000/-रु के जमानती वारण्ट से तलब किया जावे। तथा अभियोजन साक्षी उत्तमसिंह पुत्र को समंत द्वारा तलब

किया जावे।

प्रकरण में बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा सूची अनुसार दस्तावेज पेश किया गया जो प्र0डी-2 से अंकित करते हुए अभिलेख पर लिया गया।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु..... को पेश हो।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य की ओर से ए.जी.पी. श्री बी.एस.बघेल उप.।
आरोपीगण अकरम, साबरा व कल्लू सहित श्री
जी0एस0 गुर्जर एड0 उप.।
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।
अभियोजन साक्ष्य में साक्षी महेश कुमार अ0सा012 व

डॉ० जे०आर० जुगलान अ०सा०१३ उपस्थित। उन्हें शपथ दिलाई उक्त साक्षियों को परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया। अभियोजन ने अपनी साक्ष्य समाप्त घोषित की। अतः अभियोजन का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है।

प्रकरण अभियुक्त परीक्षण हेतु नियत किया जाता है।
प्रकरण अभियुक्त कथन हेतु दि.-18/04/2015 को पेश हो।

(पी.सी. आर्य)

राज्य द्वारा ए.जी.पी. श्री भगवान सिंह बघेल ।
आरोपी रमेश उर्फ बंटी न्यायिक अभिरक्षा से
पेश, द्वारा श्री रमेश सिंह यादव अधिवक्ता ।
प्रकरण निर्णय हेतु नियत है ।
प्रकरण में निर्णय प्रथक से टंकित कराया

जाकर घोषित किया गया । निर्णयानुसार आरोपी

आरोपी रमेश उर्फ बंटी को धारा-317 भा.दं.वि. के अपराध में दोषी पाते हुए 07 वर्ष {सात वर्ष} के सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड की राशि अदा न होने पर छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे ।

आरोपी रमेश उर्फ बंटी न्यायिक निरोध में है, अतः उसका सजा वारण्ट बनाया जाकर जेल गोहद की ओर सजा भुगताने के लिए भेजा जावे, और धारा-428 द.प्र.सं. के उपबंध मुताबिक आरोपी द्वारा दिनांक-..... से तक कुल दिवस की न्यायिक निरोध की अवधि समायोजित की जाकर प्रमाणपत्र सजा वारण्ट के साथ संलग्न हो ।

आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की जमा करने पर संपूर्ण दस हजार रुपये बहु उद्देशीय महिला कल्याण समिति लहार को शिशु गृह में पल रही बच्ची के कल्याण हेतु अपील अवधि पश्चात प्रदान की जावे, ताकि उसके जीवन यापन में कुछ सहयोग हो सके ।

निर्णय की प्रति आरोपी को निःशुल्क प्रदान की जावे एवं एक प्रति डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजी जावे ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

किशन एवं होतम को धारा-306 भा.दं.वि. के अपराध में दोषी पाते हुए 08-08 वर्ष {आठ-आठ} के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड की राशि अदा न होने पर व्यतिक्रम में छः-छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

आरोपीगण के विचारण में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

आरोपीगण के सजा वारण्ट बनाये जाकर जेल गोहद की ओर सजा भुगताने के लिए भेजा जावे जिसमें धारा-428 द.प्र.सं. के उपबंध मुताबिक आरोपी किशना द्वारा दिनांक-22/03/2014 से 11/07/2014 तक कुल 112 दिवस की न्यायिक निरोध की अवधि समायोजित की जावे एवं आरोपी होतम द्वारा दिनांक-19/05/2014 से 16/07/2014 तक कुल 59 दिवस की न्यायिक निरोध की अवधि समायोजित की जावे। प्रमाणपत्र सजा वारण्ट के साथ संलग्न हो।

आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड की जमा राशि में से बतौर प्रतिकर धारा-357 {1} द.प्र.सं. के अंतर्गत मृत्तिका के परिजन रामबाबू माहौर, उम्र 40 पिता श्रीरामचरण माहौर, निवासी तबेला मोहल्ला, वार्ड नंबर-13, गोहद को पांच हजार रुपये अपील/निगरानी अवधि उपरांत प्रदान किये जावें।

प्रकरण में निराकरण के लिए जब्त संपत्ति मृत्तिका का दुपट्टा मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे।

निर्णय की प्रति आरोपीगण को निशुल्क प्रदान की गयी।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा ए.जी.पी. श्री भगवान सिंह बघेल ।
आरोपी गंगासिंह अनुपस्थित द्वारा श्री अशोक राणा
अधिवक्ता ।

प्रकरण जमानत प्रस्तुति व अभियुक्त परीक्षण हेतु
नियत है ।

अनुपस्थित आरोपी की ओर से श्री राणा अधिवक्ता
ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया जो बाद विचार इस
निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आगामी दिनांक
पर आरोपी को अति आवश्यक रूप से न्यायालया में
उपस्थित रखा जावे ।

प्रकरण में अभियुक्त परीक्षण/जमानत प्रस्तुति हेतु
दिनांक—.....को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०

राज्य द्वारा विशेष लोक अभियोजक श्री बी०एस०
बघेल ।

आरोपी सलीम सहित श्री आर.पी.एस. गुर्जर
अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया ।

आरोपी बदन सिंह सहित श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता ।

आरोपीगण बल्लू खां सहित एवं श्याम सिंह अनुपस्थित द्वारा श्री के.सी. उपाध्याय अधिवक्ता ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया जो बाद विचार स्वीकार किया जाता है ।

अभियोजन साक्षी आरक्षक प्रदीप कुमार उपस्थित । उसे शपथ दिलाई जाकर अ.सा.-2 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु 27 व 28 अप्रैल 15 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी.।
आरोपी धर्मवीर सहित श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधि.।
आरोपी बालेन्द्र सिंह न्यायिक अभिरक्षा से पेश
नहीं द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता।
आरोपीगण रामेश्वर, लोकेन्द्र सहित श्री के.पी. राठौर
अधिवक्ता।
आरोपी मुकेश सहित श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता।
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।
साक्षीगण एस.आई. पी.एन. पाल एवं ए.एस.आई.
आर.एस. कुशवाह उपस्थित। उन्हें क्रमशः अ.सा.-11 व 12
के रूप में शपथ दिलाई जाकर प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त
किया गया।
साक्षीगण साबूखां व प्रवेन्द्र के संमंस बाद तामील
प्राप्त, साक्षीगण पुकार पर अनुपस्थित। उन्हें पांच पांच सौ
रुपये का जमानती वारंट जारी हो।
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत
दिनांक-15/09/2015 को पेश हो।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—
04:00

साक्षीगण हरेन्द्र, नवाब सिंह व साबू खां उपस्थित
हुए। प्रकरण में आरोपीगण के अधिवक्ताओं को तिथि दी
जा चुकी है, और वे जा चुके हैं व इस न्यायालय के अन्य
सिविल प्रकरण 7 बी/14 ई0दी0 में कथन हो रहा है।
इस कारण साक्षीगण को आगामी तिथि पर 11 बजे
उपस्थित रहने के निर्देश के साथ उन्मुक्त किया गया।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी.।
आरोपीगण सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।
अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित ।
साक्षी एस.आई. शिवकुमार शर्मा उपस्थित । उसे
शपथ दिलाई जाकर अ.सा.-12 के रूप में परीक्षण
प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।
अपर लोक अभियोजक ने अभियोजन साक्ष्य
समाप्त घोषित की । अतः अभियोजन साक्ष्य का अवसर
समाप्त किया जाता है ।
आरोपीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह
धारा-437 (क) जा.फौ. के अंतर्गत जमानत पेश करेंगे ।
प्रकरण अभियुक्त कथन एवं जमानत प्रस्तुति हेतु
दिनांक-12/11/14 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी०एस० बघेल ।

आरोपी धर्मेन्द्र न्यायिक अभिरक्षा से पेश नहीं ।

प्रकरण आरोपी धर्मेन्द्र की उपस्थिति हेतु प्रकरण में पूर्व से नियत दिनांक-26/3/15 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

?

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी०एस० बघेल ।

आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन सहित श्री आर०डी० गुप्ता अधिवक्ता ।

आरोपी रामबरन सहित श्री के०सी० उपाध्याय अधि० ।

आरोपी गिरीश सहित श्री ए.बी. पाराशर अधिवक्ता ।

आरोपी अनिल बिरथरिया की केन्द्रीय जेल ग्वालियर से पेश नहीं द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

अभियोजन साक्ष्य में साक्षी गिरीश कवरेती उपस्थित, उसे शपथ दिलाई जाकर अ.सा.-13 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

साक्षी सुभाष पाण्डेय का जमानती वारण्ट बाद तामील प्राप्त, पुकार पर अनुपस्थित, उसे गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया जावे । साक्षी रामनिवास ओझा का जमानती वारण्ट अदम प्राप्त, पुनः जारी हो ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल ।

आरोपीगण सहित श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।
अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित ।

साक्षीगण असगरी, महेश कुमार, मोहर सिंह के समंस बाद तामील प्राप्त । साक्षीगण पुकार पर अनुपस्थित । उन्हें पांच पांच सौ रुपये के जमानती वारण्ट से तलब किया जावे । साक्षी डॉ निखिल अग्रवाल एवं डॉ सार्थन जुगलान को जारी एक एक हजार रुपये का जमानती वारण्ट से उनके अवकाश पर होने एवं साक्षी भूमिका सक्सैना का समंस अदम प्राप्त । उक्त साक्षीगण को पुनः पूर्वानुसार तलब किया जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक-08 अप्रैल 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.पी.पी.।

आरोपी बंटी सहित एवं शेष आरोपीगण अनुपस्थित द्वारा श्री आर.डी.गुप्ता अधिवक्ता ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया, जो बाद विचार स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

अभियोजन साक्ष्य में साक्षी अनिल शर्मा एवं जगराम सिंह उपस्थित। उन्हें शपथ दिलाई जाकर अ.सा.-5 एवं 6 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरान्त उन्मुक्त किया गया।

पुलिस थाना मालनपुर के थाना प्रभारी की ओर से वांछित स्पष्टीकरण मय मेडीकल प्रमाणपत्र के पेश किया गया। बाद विचार थाना प्रभारी मालनपुर को अंतिम अवसर चेतावनी देते हुए दिया जाता है कि भविष्य में प्रकरणों की तामीलों में विशेष रुचि लेकर व्यक्तिगत रूप से तामील करायें एवं भविष्य में इस प्रकार की पुनर्वावृत्ति न हो।

अपर लोक अभियोजक ने अभियोजन साक्ष्य समाप्त घोषित की। अतः अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है।

प्रकरण अभियुक्त परीक्षण हेतु दिनांक—..... को पेश हो।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पूर्व दिनांक-24/2/15 को साक्षी अनिल कुमार शर्मा का जारी संमंस एवं साक्षी टी.आई. जगराम सिंह

कुशवाह का जारी एक हजार रुपये का जारी जमानती वारण्ट तामील अदम तामील प्राप्त नहीं, न ही साक्षी उपस्थित है तथा थाना प्रभारी मालनपुर के द्वारा तामिली में रुचि न लिये जाने और प्रकरण 05 वर्ष से अधिक पुराना होकर माननीय उच्च न्यायालय को भेजे गये पुराने प्रकरणों की सूची में शामिल होने के मध्यनजर पूर्व दिनांक के आदेश के पालन में दि.-25/2/15 था प्रभारी मालनपुर को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गा था, जिसमें 07 दिवस के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया था, किन्तु थाना प्रभारी मालनपुर श्री शेरसिंह द्वारा न तो कोई स्पष्टीकरण दिया गया, न ही तामील की गयी, न तामील लौटाई गयी, जिससे न्यायालय के विधिपूर्ण आदेश का स्पष्टतः उल्लंघन होता है । अतः थाना प्रभारी मालनपुर श्री शेरसिंह के विरुद्ध पृथक से धारा-29 पुलिस एक्ट के तहत विविध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर नोटिस जारी कर कार्यवाही संचालित की जावे, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक भिण्ड को भी सूचित किया जावे और प्रकरण अग्रिम कार्यवाही के लिए थोड़ी देर बाद पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

साक्षी सुरेश ने न्यायालय में 5:15 बजे उपस्थित होकर व्यक्त किया कि वह साक्ष्य हेतु आया है, वह लंच समय पूर्व से न्यायालय आ गया था । प्रकरण में तारीख पेशी दी जा चुकी है एवं न्यायालय समय समाप्ति की ओर है । अतः साक्षी को आगामी नियत दिनांक—9/4/15 के लिए पाबंद किया गया ।

प्रकरण पूर्ववत् 9/4/15 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

3:45 पी.एम.

आरोपीगण मंगू लज्जाराम व मेहताब सिंह की ओर से श्री एस.एस. श्रीवास्तव अधिवक्ता ने धारा-317 जा.फौ. का आवेदनपत्र पेश किया ।

प्रकरण में उक्त तीनों आरोपीगण के जमानत मुचलके जप्त कर उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट का आदेश किया जा चुका है । इसलिये प्रकरण उक्त आवेदनपत्र विधिक बल नहीं रखता है, इसलिये आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र निरस्त किया जाकर संलग्न प्रकरण किया गया ।

प्रकरण पूर्ववत् 9/4/15 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा ए.जी.पी. श्री भगवान सिंह बघेल
उपस्थित ।

आरोपी सहित श्री केशव सिंह गुर्जर अधिवक्ता ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

इसी समय अपर लोक अभियोजक ने एक
आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-311 द.प्र.सं. 1973 का पेश किया
गया । नकल आरोपी अधिवक्ता को दी गयी ।

अभियोजन की ओर से विद्वान ए.जी.पी. द्वारा प्रस्तुत
आवेदनपत्र में यह प्रार्थना की गयी है कि प्रकरण से
संबंधित महत्वपूर्ण रोजनामचा सान्हा क्र.-3061, 3062 एवं
3072 को साक्षी राजपाल सिंह तोमर से प्रदर्शित कराया
जाना आवश्यक है, जो त्रुटिवश रह गये हैं । अतः उक्त
साक्षी को पुनः तलब कर संबंधित रोजनामचा प्रदर्शित करने
संबंधी आदेश देने का निवेदन किया ।

जिसका आरोपी की ओर से मौखिक जवाब प्रस्तुत
कर विरोध करते हुए बताया है कि आवेदनपत्र में वर्णित

साक्षी को तलब किया जाना विधि संमत् नहीं होने से निरस्त किया जावे ।

मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

धारा-311 द.प्र.सं. के उपबंध मुताबिक -

कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है ; और यदि न्यायालय को मामले के न्याय संगत विनिश्चय के लिए

किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसा व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा ।

उक्त उपबंध मुताबिक साक्षी ए.एस.आई राजपाल सिंह तोमर के द्वारा उक्त रोजनामचा सान्हा को प्रदर्शित कराया जाना प्रकरण के उचित व विधिपूर्ण निराकरण के लिए उचित व आवश्यकत प्रतीत होता है, उक्त साक्षी को तलब किए जाने से प्रकरण की कार्यवाही बिलंबित होने की भी संभावना नहीं है । अतः बाद विचार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-311 जा.फौ स्वीकार किया जाकर उक्त साक्षी अ0सा0-3 को पुनः संमंस संबंधित मूल रोजनामचा के साथ उपस्थित रहने हेतु जारी किया जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु 01 मई 2015 को पेश हो ।

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल ।

आरोपी महेन्द्र सहित श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता उपस्थित ।

शेष आरोपीगण मंगलप्रसाद, मेहताब एवं लज्जाराम अनुपस्थित । उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं, न ही हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश है ।

आरोपीगण मंगलप्रसाद, मेहताब एवं लज्जाराम को पुकारें लगवायी गयी, पुकार पर अनुपस्थित । अतः आरोपीगण मंगलप्रसाद, मेहताब एवं लज्जाराम के अनुपस्थित होने से उनकी ओर से प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। आरोपीगण मंगलप्रसाद, मेहताब एवं लज्जाराम को गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया जावे ।

प्रकरण आरोपीगण मंगलप्रसाद, मेहताब एवं लज्जाराम की उपस्थिति हेतु /4/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

साक्षी नरेन्द्र उपस्थित। उसे शपथ दिलाई जाकर अ. सा.-14 के रूप पर परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त

किया गया ।

अभियोजन ने अपनी साक्ष्य समाप्त घोषित की ।
प्रकरण अभियुक्त परीक्षण हेतु थोड़ी देर बाद पेश
हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

अपीलार्थी/शासन द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल
ए.जी.पी. ।

प्रत्यर्थी पंजाब सिंह पाल सहित एवं रामवीर एवं
रामेश्वर द्वारा श्री भूपेन्द्र कांकर अधिवक्ता ।

शेष प्रत्यर्थी क्र.-1 लगायत-3 एवं 7 पूर्व से
अनुपस्थित ।

प्रत्यर्थी रामवीर और रामेश्वर की ओर से धारा-317
जा.फौ. का हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया, दर्शित
कारण उचित होने से बाद विचार आगामी दिनांक पर अति
आवश्यक रूप से पेश किए जाने के निर्देश के साथ
स्वीकार किया जाता है ।

अभिलेख का अवलोकन किया गया । शेष प्रत्यर्थी
मोह. अहसान, मोह. सुभान एवं इरफान जो कि मुजफ्फर
नगर उत्तरप्रदेश के निवासी हैं तथा मोहर सिंह जो
ग्राम रूपाबई थाना मौ के निवासी हैं, वे प्रकरण में
अनुपस्थित हैं । उक्त दांण्डिक अपील दोषमुक्ति के आदेश
के विरुद्ध शासन की ओर से पेश की गयी थी, प्रत्यर्थीगण
को जारी एक एक हजार रुपये के जमानती वारण्ट से
तलब किए जाने का आदेश किया गया था, जिनकी तामील
आज तक नहीं हुई है । नियमानुसार जमानती वारण्ट जारी
करने की आवश्यकता नहीं है । केवल तातमील के नोटिस
का जारी किया जाना ही पर्याप्त है । अतः अनुपस्थित
प्रत्यर्थीगण के नोटिस थाना प्रभारी मौ को पत्र के साथ इस
निर्देश के साथ जारी हों कि उनका निर्वाह हर संभव प्रयास

कर आवश्यक रूप से कराये क्योंकि दाण्डिक अपील वर्ष 2010 से विचाराधीन है और अनुपस्थिति के कारण ही बिलंबित हो रही है तथा प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी होने की अनिवार्यता भी है ताकि यदि नोटिस का निर्वाह होने के बाद अनुपस्थिति की दशा में गुणदोषों पर अपील का निराकरण किया जा सके ।

प्रकरण आरोपीगण की उपस्थिति हेतु दिनांक-09/04/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल ।

आरोपी लखन अनुपस्थित द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया जो बाद विचार स्वीकार किया जाता है ।

अभियोजन साक्ष्य में साक्षीगण काजूसिंह, ए.एस.आई. अवनीश शर्मा एवं निरीक्षक कुशल सिंह भदौरिया उपस्थित । उन्हें शपथ दिलाई जाकर क्रमशः अ.सा.-13 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया । साक्षी क्र.-14 का कथन लंच समय होने से स्थगित किया जाकर पुनः लंच पश्चात शपथ दिलाई जाकर शेष प्रतिपरीक्षण पूर्ण किया गया । तत्पश्चात साक्षी क्र0-15 कुशल सिंह भदौरिया को परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

अभियोजन ने अपनी साक्ष्य समाप्त घोषित की ।

अतः अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है ।

प्रकरण अभियुक्त परीक्षण हेतु नियत किया जाता है ।

प्रकरण अभियुक्त परीक्षण हेतु दिनांक-.....
को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

आरोपी/अपीलार्थी जगदीश सहित श्री एस0एस0
तोमर उपस्थित ।

अनावेदक शासन द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल
एजीपी उपस्थित ।

प्रकरण निर्णय हेतु नियत है ।

निर्णय प्रथक से टकित कराया जाकर घोषित किया
गया । निर्णय अनुसार प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार की
जाकर धारा-323, [325/34](#) भा0दं0सं0 में दिये गये
दण्डादेश 6 माह के सश्रम कारावास व चार हजार **रूपये**
अर्थदण्ड को अपास्त किया जाकर दोषमुक्त किया गया ।
उसका जमा अर्थदण्ड वापिस किया जावे ।

आरोपी के अपील में प्रस्तुत जमानत मुचलके
भारमुक्त किए जाते हैं ।

प्रकरण में निराकरण जब्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने
नष्ट की जावे ।

निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का
अभिलेख वापिस किय जावे ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा
हो ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी०एस० बघेल ।

आरोपी रमेश उर्फ बंटी न्यायिक अभिरक्षा से पेश नहीं द्वारा श्री आर.सी. यादव अधिवक्ता ।

अभियोजन साक्ष्य में साक्षीगण रजनी, वकील एवं विनोद शर्मा उपस्थित उन्हें शपथ दिलाई जाकर क्रमशः अ. सा.—13, 14 व 15 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

अपर लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन साक्ष्य समाप्त घोषित की गयी । अतः अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है ।

प्रकरण अभियुक्त कथन हेतु नियत किया जाता है ।

प्रकरण अभियुक्त परीक्षण हेतु दिनांक— अप्रैल 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

अभिभाषक संघ, गोहद की ओर से स्व. श्री तेजनारायण शुक्ला अधिवक्ता के आकस्मिक निधन के तारतम्य में अधिवक्तागण अनिश्चित कालीन न्यायालय कार्य से सामूहिक रूप से विरत हैं ।

राज्य द्वारा कोई नहीं ।

आरोपीगण स्वयं उपस्थित ।

अधिवक्तागण कार्य से विरत हैं ।

प्रकरण धारा-311 जा0फौ0 के आवेदनपत्र के जबाब तर्क हेतु दिनांक-09/11/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

अभियोजन साक्ष्य में साक्षी डा. विमल जैन की उपस्थिति हेतु रे-लाइफ अस्पताल ग्वालियर को जारी पत्र इस टीप के साथ वापिस प्राप्त कि उक्त चिकित्सक न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित हो जायेगा । किन्तु साक्षी उपस्थित नहीं ।

साक्षी डा. रिशीकांत दुबे की उपस्थिति हेतु गालव सी.टी. स्कैन सेंटर, ग्वालियर को जारी पत्र इस टीप के साथ वापिस प्राप्त कि उक्त चिकित्सक न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित हो जायेगा । किन्तु साक्षी उपस्थित नहीं ।

साक्षी डा. अमर सिंह की उपस्थिति हेतु ज्यारोग्य अस्पताल ग्वालियर को जारी पत्र डॉ. जी.एस. वर्मा, ट्रामा सेंटर जे.ए.एच. ग्वालियर को सूचित किए जाने के पत्र के साथ वापिस प्राप्त । किन्तु साक्षी उपस्थित नहीं ।

इसी स्तर पर अपर लोक अभियोजन श्री बघेल ने एक आवेदनपत्र इस आशय का पेश किया कि उक्त अस्पतालों के संचालकों को मय रिकॉर्ड के साक्ष्य हेतु तलब कर लिया जावे एवं विकल्प में जी.एस. वर्मा डाक्टर तथा आदित्य श्रीवास्तव डाक्टर को भी तलब किया जावे ।

आवेदनपत्र पर सुना गया । अवलोकन किया गया । पूर्व पेशी पर भी जारी पत्रों में चिकित्सक के पता नहीं

चलने के कारण चिकित्सीय दस्तावेजों को संलग्न कर भेजा गया था, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए इसलिये उक्त अस्पतालों के संचालकों को पत्र मेडीकल दस्तावेजों सहित इस निर्देश के साथ जारी किया जावे कि वे स्वयं संबंधित मूल दस्तावेजों को साथ लाकर साक्ष्य हेतु उपस्थित रखें ।

साक्षी एस.आई. के.पी. शर्मा का जमानती वारण्ट अदम प्राप्त, पुनः जमानती वारण्ट जारी हो ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु 10 सितंबर 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल ।

आरोपी गंगासिंह सहित श्री अशोक राणा अधिवक्ता ।
अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित ।

साक्षी नवरंग सिंह गिरफ्तारी वारण्ट की बाद तामील उपरांत साक्ष्य हेतु उपस्थित । उसे शपथ दिलाई जाकर अ. सा.-8 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया एवं साक्षी को न्यायालय के द्वारा जारी किए गये तामीली के पालन में भविष्य में समय पर उपस्थित रहने

हेतु निर्देशित किया गया ।

साक्षी मोतीराम यादव का जमानती वारण्ट उसके ग्राम मरसेनी बुजुर्ग में वर्तमान पता बताते हुए अदम प्राप्त । उक्त साक्षी की बल्लियत के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, अतः उक्त साक्षी मोतीराम यादव पिता धर्मसिंह यादव उम्र 70 साल निवासी मरसेनी बुजुर्ग के पते पर पुनः एक हजार रुपये का जमानती वारण्ट इस टीप के साथ भेज जावे कि उक्त साक्षी की बल्लियत के संबंध में विश्वसनीय प्रमाण पश्चात प्राप्त कर तामील करायी जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु 20/02/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

निगरानीकर्ता **अनिलपुरी** की ओर से श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता ने यह निगरानी न्यायालय श्री एस.के. तिवारी, जे.एम.एफ.सी. गोहद के प्रकरण क्रमांक-1457/2013 ई.फौ. पुलिस थाना मालनपुर विरुद्ध अनिलपुरी आदि आदेश दिनांक-13/01/2015 के विरुद्ध पेश किया है ।

प्रारंभिक तर्क श्रवण किए गये ।

निगरानी में विधि एवं तथ्य के प्रश्न निहित हैं । अतः निगरानी अंतिम सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाती है ।

प्रकरण पंजीयन हेतु माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड की ओर भेजा जावे ।

तलवाना पेश किए जाने पर संबंधित अभिलेख बुलाया जावे एवं प्रत्यर्थीगण को तलब किया जावे ।

प्रकरण तर्क हेतु 04/03/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल ।

आरोपी देशराज एवं दीपा सहित श्री पी.एन. भट्टेले अधिवक्ता ।

अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित ।

साक्षीगण एस.आई. योगेन्द्र सिंह जादौन एवं एस. आई. आर.0एस0 भदौरिया के गिरफ्तारी वारण्ट अदम प्राप्त, पुनः पुलिस अधीक्षक भिण्ड के माध्यम से आवश्यक रूप से तामीली के निर्देश के साथ भेजे जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दि.-15/01/2016 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य की ओर से ए.जी.पी. बी.एस.बघेल उप.।

आरोपीगण सुधादेवी अनुपस्थित एवं शेष नंदकिशोर, एवं रामेन्द्र स्वयं सहित श्री के०सी० उपाध्याय अधिवक्ता ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया, जो बाद विचार स्वीकार किया जाता है ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

साक्षी हरजीत सिंह उपस्थित, उसे शपथ दिलाई जाकर अ.सा.-9 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

शेष अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित है, साक्षीगण बी.एल. बंसल, राजेन्द्र पाठक, आरक्षक रंधीर सिंह को जारी जमानती वारण्ट अदम प्राप्त, पुनः जारी हो ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक-.....
2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

आवेदक/आरोपी द्वारा श्री के.सी. उपाध्याय अधि.।

राज्य की ओर से ए.जी.पी. बी.एस.बघेल उप.।
प्रकरण जमानत आवेदनपत्र पर विचार व केस
डायरी हेतु नियत है ।

जमानत आवेदनपत्र का अवलोकन किया गया,
जिसके अवलोकन से प्रथम दृष्टया थाना एण्डोरी के अप.क्र.
-108/2014 के अंतर्गत पेश किया गया है । थाना
एण्डोरी से संबंधित अपराध इस न्यायालय के संज्ञान
अधिकारिता में नहीं है, अतः आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान
अधिवक्ता को जमानत प्रपत्र संबंधित श्रवणाधिकार वाले
न्यायालय में पेश किए जाने के निर्देश हेतु वापिस किए
गये।

परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

आरोपीगण सहित श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

अभियोजन साक्ष्य में साक्षीगण हाजिराबानो, इसराईल
खां एवं काजी मासूक अली उपस्थित। उक्त साक्षीगण को
आरोपीगण कल्लू व साबरा के संबंध में पुनः शपथ दिलाई
जाकर परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया।

शेष अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित ।

साक्षी डॉ कुल्दीप सिंह का संमंस बाद तामील प्राप्त
साक्षी पुकार पर अनुपस्थित। अतः उसे एक एक हजार
रुपये के जमानती वारण्ट से तलब किया जावे । साक्षी
भूमिका सक्सैना का संमंस अदम तामील दतिया में पदस्थ
होने की टीप के साथ प्राप्त । साक्षी को पुनः संमंस नवीन
पते पर तलब हो ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत नियत
दिनांक-13/2/15 को पेश हो।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य की ओर से ए.जी.पी. श्री बी.एस.बघेल उप.।

आरोपी छविराम न्यायिक अभिरक्षा से गोहद जेल से पेश द्वारा एवं शेष आरोपीगण सहित श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता ।

अभियोजन साक्ष्य में साक्षी दाताराम उपस्थित उसे शपथ दिलाई जाकर परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत अ.सा.-7 के रूप में उन्मुक्त किया गया ।

साक्षी आजाद न्यायालय में उपस्थित है, उक्त साक्षी की शपथ अपर लोक अभियोजक ने नहीं कराना व्यक्त करते हुए उसे बिना परीक्षण उन्मुक्त किया, उक्तानुसार विचारण कार्यक्रम में अंकित हो ।

साक्षीगण मनीष, रामरतन व सुलतान उपस्थित हैं, बचाव पक्ष अधिवक्ता श्री जी.एस. गुर्जर द्वारा निवेदन किया गया कि उनको आज अति आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, इसलिये अन्य उपस्थित साक्षियों की साक्ष्य आगामी दिनांक पर लिये जाने का निवेदन किया, जिसपर विद्वान ए.जी.पी. को भी कोई आपत्ति नहीं होने से साक्षीगण मनीष, रामरतन व सुलतान को आगामी कार्यदिवस के लिए पाबंद किया गया ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत दिनांक 08/05/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य की ओर से ए.जी.पी. बी.एस.वघेल उप.।
आरोपीगण सहित श्री टी.एन. शुक्ला अधिवक्ता।
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।
अभियोजन साक्ष्य में साक्षी सोनपाल सिंह तोमर एस.
आई. उपस्थित। उसे शपथ दिलाई जाकर अ.सा.-12
के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया।
शेष अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित।
साक्षीगण राजेश, कुशल सिंह भदौरिया के गिरफ्तारी
वारण्ट एवं प्रमोद भदौरिया के जमानती वारण्ट अदम
तामील प्राप्त। पुनः पूर्वानुसार वारण्ट जारी हों।
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत् नियत
दिनांक 7/2/15 को पेश हो।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

03.02.15

आवेदक सहित श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता उप.।
अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा श्री कमलेश शर्मा
अधिवक्ता उप.।
अनोवदक क्रमांक 3 द्वारा श्री के.पी.राठौर अधि. उप.।
प्रकरण आवेदक साक्ष्य हेतु नियत है।
आवेदक साक्षी नाथूराम आ0सा0 1, आतमदास
आ0सा0 2 एवं कमलेश आ0सा0 3 उपस्थित उन्हें परीक्षण
प्रतिपरीक्षण वाद उन्मुक्त किया गया। आवेदक पक्ष ने अपनी
साक्ष्य समाप्त घोषित की, प्रकरण अनावेदक साक्ष्य हेतु
नियत किया जाता है। अनोवदक पक्ष को निर्देशित किया
गया कि वह
प्रकरण अनावेदक साक्ष्य हेतु दिनांक

राज्य की ओर से ए.जी.पी. बी.एस.वघेल उप.।
आरोपी सुखपाल एवं थानसिंह सहित श्री आर०डी०
गुप्ता अधि.उपस्थित ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।
अभियोजन साक्षी सुभाष पाण्डेय उपस्थित है, उसे
शपथ दिलाई जाकर अ.सा.-8 के रूप में परीक्षण प्रारंभ
किया गया, परीक्षण के दौरान जब्तशुदा मुददेमाल को
बुलाया जाकर उनपर आर्टीकल्स अंकित किए गये एवं लंच
समय होने से कथन स्थगित किया गया, पुनः लंच समय
पश्चात साक्षी को शपथ दिलाई जाकर प्रतिपरीक्षण उपरांत
उन्मुक्त किया गया ।

साक्षी राजेन्द्र तरेटिया की तामील अदम प्राप्त, पुनः
अति आवश्यक रूप से तलब किए जाने के निर्देश के साथ
जारी हो ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक-.....अगस्त
2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री बघेल ।
आरोपीगण राजाराम व वीरसिंह न्यायिक अभिरक्षा से
पेश द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता ।
शेष आरोपीगण सहित श्री शुक्ला अधिवक्ता
उपस्थित ।
पुनश्च—

आदेश के पालन में आरोपी सतेन्द्र सिंह की ओर से
जमानतदार लालसिंह पुत्र बदन सिंह राजपूत निवासी
खेरिया सिंध थाना अमायन परगना मेहगांव जिला भिण्ड एवं
जमानतदार रामप्रकाश पुत्र छबू सिंह बघेल, निवासी खेरिया
सिंध थाना मेहगांव जिला भिण्ड ने उपस्थित होकर
धारा-437 (क) जा.फौ. के अंतर्गत **एक-एक लाख रुपये**
की जमानतें एवं आरोपी की ओर से एक लाख रुपये का

मुचलका पेश की, जमानतदार की पहचान श्री बी.एस. यादव अधिवक्ता ने की, जमानत विधि अनुकूल होने से स्वीकार की जाती है । आरोपी सतेन्द्र का रिहाई आदेश जारी हो ।

प्रकरण परीक्षण हेतु पूर्ववत् 02/12/15 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल ।

आरोपीगण अनुपस्थित द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधि. ने हाजरी माफी आवेदनपत्र पेश किया जो बाद विचार इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आगामी दिनांक पर आरोपीगण को अति आवश्यक रूप से उपस्थित रखा जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

अभियोजन साक्षी अनुपस्थित।

साक्षी अनिल शर्मा का समंस इस टीप के साथ बापस किया गया है कि उक्त नाम पते वाला व्यक्ति पठावली थाना रिठौरा में नहीं रहता है, जिस पर से थाना मालनपुर के आरक्षक पवन जाटव क्रमांक 513 को बुलाकर जानकारी ली जाने पर उसका कहना है कि साक्षी का पता गलत अंकित किया गया है। ए.जी.पी. द्वारा भी ऐसा ही व्यक्त किया गया है। प्रकरण में संलग्न विचारण कार्यक्रम के मुताबिक भी साक्षी अनिल कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण का पता सिद्धेश्वर नगर ग्वालियर अंकित किया गया है, इससे यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय में पदस्थ कोर्ट मोहरर श्री नईम खॉन क्रमांक 216 के द्वारा गलत तामीली जारी की गई है, इस संबंध में उसे लिखित चेतावनी दी जाती है कि प्रकरण अत्यधिक प्रराना होने और उसमें तत्परता से कार्यवाही करने के निर्देश के बावजूद गलत पता अंकित कर उक्त साक्षी की तामीली क्यों निकाली गई। इस संबंध में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लिया जाए।

साक्षी टी.आई. जगरामसिंह कुशवाह का एक हजार रूपए का जमानती वारंट घर पर तलाश करने पर बाहर जाने की रिपोर्ट के साथ बापस किया गया है, किन्तु कब-कब तामीली का प्रयास किया गया है इस बात का कोई उल्लेख नहीं है जिससे तामीली के अपेक्षित प्रयास किये जाने परिलक्षित नहीं होते हैं।

अतः पुनः पत्र जारी कर थाना प्रभारी को निर्देशित किया जाए कि वह स्वयं की देख-रेख में तामीली कराए, अदम तामीली की दशा में मय प्रमाण साक्ष्य को स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहे। जिसके एक प्रति पुलिस अधीक्षक भिण्ड को भेजी जावे। प्रकरण पुराना होने से ए.जी.पी. को भी विशेष रुचि लेने के लिए कहा गया।

प्रकरण अनिल कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण का पता सिद्धेश्वर नगर ग्वालियर एवं मूल निवास स्थान ग्राम व कस्बा एण्डोरी जिला भिण्ड को जरिए समंस एवं टी.आई. जगरामसिंह कुशवाह को जरिए एक हजार रूपए के

जमानती वारंट एवं धारा 350 दं.पं.सं. के नोटिस सहित जारी हो।

प्रकरण अभियोज साक्ष्य हेतु दिनांक.....को पेश हो।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

मूल निवास स्थान ग्राम व कस्बा एण्डोरी जिला भिण्ड

आरोपी कल्लू उर्फ महुसूदन सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।

आरोपी गिरीश सहित श्री ए.बी. पाराशर अधिवक्ता ।

प्रकरण में आरोपी अनिल बिरथरिया के संबंध में उपार्पण की कार्यवाही एवं अग्रिम कार्यवाही तथा अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

साक्षी आरक्षक राजेश सिंह उपस्थित । उसे शपथ दिलाई जाकर अ.सा.-4 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

जे.एम.एफ.सी. गोहद श्री संतोष तिवारी के न्यायालय से एक पत्र आरोपी अनिल का पूरक अभियोगपत्र इस न्यायालय को कमिट कर भेजे जाने बाबत पेश किया, जिसमें इस न्यायालय में उपस्थिति हेतु दिनांक-3/2/15 नियत है । अतः प्रकरण आरोपी अनिल की उपस्थिति एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु 3/2/15 को पेश हो ।

शेष आरोपीगण के संबंध में प्रकरण पुनः अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है ।

साक्षी जितेन्द्र का गिरफ्तारी वारण्ट अदम तामील प्राप्त । पुनः गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक-09, 10 एवं 11 मार्च 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी०एस० बघेल ।

आरोपी मनोज कोरी सहित श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है ।

निर्णय प्रथम से टंकित कराया जाकर घोषित किया गया, निर्णय अनुसार आरोपी मनोज कोरी को आरोपित अपराध धारा -364, 302, 397 व 201 भा.द.वि. के अपराध से दोषमुक्त किया गया ।

आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए गये ।

प्रकरण में आरोपी मनोज से कोई वस्तु निराकरण योग्य जब्त नहीं है । अन्य निराकृत अभियुक्त हरी से खून आलूदा कथरी व खून आलूदा सादा मिट्टी, एवं आरोपी राजेन्द्र से पत्थर, नारायण से चादर मूल्यहीन वस्तुएं हैं, जिन्हें अपील अवधि पश्चात विधिवत नष्ट किया जावे तथा लाखन से जब्त मोटरसाइकिल पूर्व से ही वाहन स्वामी मुन्नालाल पिता श्रीलाल जाटव को दिनांक-10/4/2000 को सुपुर्दगी पर दी जा चुकी है, अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात भारमुक्त समझा जावे । अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय अनुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे ।

निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी०एस० बघेल ।

आरोपी शिवनारायण अनुपस्थित एवं शेष आरोपीगण सहित श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश जो बाद विचार स्वीकार किया जाता है ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

अभियोजन साक्ष्य में साक्षी आरक्षक दीवान सिंह उपस्थित । उन्हें शपथ दिलाई जाकर अ.सा.-2 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

शेष अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित । साक्षी तहसीलदार का संमंस बाद तामील प्राप्त । साक्षी पुकार पर अनुपस्थित । अतः उसे एक हजार रुपये के जमानती वारण्ट से तलब किया जावे । शेष साक्षी क्र.-11 व 12 के संमंस वापिस प्राप्त नहीं । पुनः जारी हो । साक्षी क्र.- 1, 3 एवं 4 को भी संमंस से तलब किया जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक-02, 03 एवं 04 मार्च 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी०एस० बघेल ।

आरोपीगण मुकेश व बंटी जेल से पेश एवं आरोपी सुरेश सहित श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

अभियोजन साक्ष्य में साक्षी डॉ आलोक शर्मा उपस्थित । उन्हें शपथ दिलाई जाकर अ.सा.-6 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

शेष अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित । साक्षी एम.पी. बरुआ डाक्टर का संमंस अदम तामील वापिस प्राप्त । पुनः संमंस जारी हो । शेष साक्ष्य जरिये संमंस तलब हो ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत नियत दिनांक-03 एवं 04 मार्च 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी०एस० बघेल ।

आरोपी कन्नू सहित एवं आरोपीगण रामकरन व कक्का सहित श्री रमेश सिंह यादव अधिवक्ता एवं शेष आरोपीगण सहित श्री आर०पी०एस० गुर्जर अधिवक्ता ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

अभियोजन साक्ष्य में साक्षी रामस्वरूप उर्फ गब्बा न्यायिक अभिरक्षा से उपस्थित है, उसके द्वारा व्यक्त किया गया कि वह आज साक्ष्य देने ही समय चाहा है, जिसपर अभियोजन व आरोपीगण अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं होने से तथा न्यायालय समय समाप्ति की ओर होने से साक्ष्य हेतु एक अवसर प्रदान किया गया । उक्त साक्षी को आगामी नियत की जाने वाली दिनांक के लिए जरिये पांच सौ रुपये के जमानती वारण्ट से आहूत किया जावे ।

शेष अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित ।

साक्षी अंगद सिंह का गिरफ्तारी वारण्ट उसके फरार होने की टीप के अदम प्राप्त, पुनः आवश्यक रूप से तामील कराये जाने की टीप के साथ जारी हो । साक्षी शीलू उर्फ उमेश का जमानती वारण्ट बाद तामील प्राप्त, साक्षी पुकार पर उपस्थित नहीं, अतः उसे गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत दिनांक-03 सितंबर 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

पुनश्च—

5:00 पी.एम.

साक्षी अंगद उपस्थित है, न्यायालय समय समाप्त हो चुका है, इसलिये उक्त साक्षी को आगामी नियत तिथि के लिए पाबंद किया गया ।

प्रकरण पूर्ववत 02 व 03 सितंबर 15 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी०एस० बघेल ।

आरोपिया सहित श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता ।

प्रकरण में आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ धर्मवीर के संबंध में पूरक अभियोगपत्र धारा-4/5 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत पेश हुआ था, जिसके विचारण के संबंध में श्रीमान् सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड से मार्गदर्शन चाहा गया था, जिसपर से माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक-971/सां./लि./2015 भिण्ड दि.-20 मार्च 2015 संबंधी आदेश प्राप्त हुआ जिसमें उपरोक्त आरोपी धर्मेन्द्रसिंह का प्रकरण इस न्यायालय से आहरित कर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद श्री डी.सी. थपलियाल के न्यायालय में विधिवत अंतरित किए जाने का आदेश दिया गया है । उक्त आदेश के पालन में आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ धर्मवीर से संबंधित पूरक अभियोगपत्र का सत्रवाद 106/14 विधिवत पत्र के माध्यम से श्री डी.सी. थपलियाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड के न्यायालय में भेजा गया है ।

अभियोजन साक्षीगण मुकेश सिंह का जमानती वारण्ट एवं कुमारी शालू एवं मुन्नीदेवी के गिरफ्तारी वारण्ट वापिस अदम प्राप्त । उक्त साक्षीगण को पुनः पूर्वानुसार तलब किया जावे, जिनपर आवश्यक रूप से तामीली करायी जाने की टीप अंकित की जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दि.-15/04/2015
को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0
बघेल ।

आरोपीगण अनुपस्थित द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता
अधिवक्ता ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया जो बाद
विचार इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि
आगामी दिनांक पर आरोपीगण को अति आवश्यक रूप से
उपस्थित रखा जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित ।

साक्षी अनिल शर्मा को संमंस एवं साक्षी जगराम सिंह
कुशवाह को एक हजार रुपये के जमानती वारण्ट से तलब
किया जावे, इस हेतु थाना प्रभारी को पत्र जारी हो ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दि.-03/02/2015
को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0
बघेल ।

आरोपी प्रेमनारायण अनुपस्थित एवं आरोपी अशोक सहित श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता ने अनुपस्थित आरोपी का हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया जो बाद विचार इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आगामी दिनांक पर आरोपी प्रेमनारायण को अति आवश्यक रूप से उपस्थित रखा जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

अभियोजन साक्षी बादामीबाई उपस्थित, उसे शपथ दिलाई जाकर अ.सा.-12 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

अपर लोक अभियोजक ने अभियोजन साक्ष्य समाप्त घोषित की । अतः अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है ।

आरोपीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा-437 (क) जा.फौ. के अंतर्गत 25-25 हजार की जमानत पेश करेंगे ।

प्रकरण अभियुक्त कथन एवं जमानत प्रस्तुति हेतु दिनांक-27/07/15 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0

बघेल ।

आरोपी सुरेश चन्द्र जैन सहित श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता ।

शेष आरोपीगण राजेन्द्र अनुपस्थित एवं भानसिंह एवं आरोपी चतुर सिंह सहित श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया जो बाद विचार इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आगामी दिनांक पर आरोपीगण को अति आवश्यक रूप से उपस्थित रखा जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

साक्षी एन.एस. कुशवाह सेवानिवृत्त ए.एस.आई. उपस्थित । उसे शपथ दिलाई जाकर अ.सा.-16 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

अपर लोक अभियोजक ने अभियोजन साक्ष्य समाप्त घोषित की । अतः अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है ।

आरोपीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा-437 (क) जा.फौ. के अंतर्गत जमानत पेश करेंगे ।

प्रकरण अभियुक्त कथन एवं जमानत प्रस्तुति हेतु दिनांक-12/11/14 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च-

साक्षी ब्रजकिशोर आरक्षक का जमानती वारण्ट बाद तामील प्राप्त, साक्षी पुकार पर अनुपस्थित, उसे गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया जावे ।

ए.एस.आई. एन.एस. कुशवाह का जमानती वारण्ट अदम प्राप्त, पुनः जारी हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी०एस०
बघेल ।

आरोपी कल्लू उर्फ महुसूदन सहित श्री आर०डी०
गुप्ता अधिवक्ता ।

आरोपी गिरीश सहित श्री ए.बी. पाराशर अधिवक्ता ।

आरोपी रामबरन सहित श्री के.सी. उपाध्याय अधि० ।

आरोपी अनिल बिस्तरिया केन्द्रीय जेल ग्वालियर से
पेश । उसकी ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।

पुनश्च—

साक्षीगण धर्मेन्द्र एवं रविन्द्र के समंस बाद तामील प्राप्त ।
साक्षीगण पुकार पर अनुपस्थित, अतः उन्हें पांच पांच सौ रुपये
के जमानती वारण्ट से तलब किया जावे ।

प्रकरण पूर्ववत अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत
दिनांक—14 मई 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

आरोपी कल्लू उर्फ मधुसूदन की ओर से श्री प्रवीण
गुप्ता अधिवक्ता ने एक आवेदनपत्र धारा—91 जा.फौ. का
पेश किया, नकल ए.जी.पी. को दी गयी, उन्होंने उक्त
आवेदनपत्र का लिखित जवाब पेश करना व्यक्त करते हुए
समय चाहा, न्यायहित में दिया गया ।

प्रकरण धारा—91 जा.फौ. के आवेदनपत्र के जवाब
तर्क एवं अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत दि.—14/5/15 को
पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

राज्य द्वारा ए.जी.पी. श्री भगवान सिंह बघेल ।

आरोपी प्रकाश सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।

शेष आरोपी शिवराज अनुपस्थित द्वारा श्री गुप्ता अधिवक्ता ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया दर्शित कारण उचित होने से बाद विचार अंतिम अवसर देते हुए स्वीकार किया जाता है आगामी दिनांक पर आरोपी को अति आवश्यक रूप से स्वयं की जिम्मेदारी पर पेश किया जावे ।

आरोपीगण अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा-437 (क) जा.फौ. के अंतर्गत 50 हजार रुपये की जमानत पेश करेंगे ।

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी०एस० बघेल ।

आरोपी शिवचरण सहित व आरोपी सतीश अनुपस्थित द्वारा श्री सुरेश चौधरी अधिवक्ता ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया जो बादविचार स्वीकार किया जाता है ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

साक्षी एएसआई राजपाल सिंह तोमर उपस्थित, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रकरण में मुख्य साक्षीगण के कथन नहीं हुए हैं, इसलिये उक्त साक्षी की साक्ष्य आज नहीं कराना व्यक्त करते हुए मुख्य साक्षीगण के कथन उपरांत साक्षी राजपाल सिंह तोमर का कथन कराये जाने का निवेदन किया । बाद विचार निवेदन उचित होने से स्वीकार किया जाता है । साक्षी राजपाल सिंह तोमर को बिना परीक्षण छोड़ा गया ।

साक्षी हरीशचंद्र शर्मा का जमानती वारण्ट बाद तामील प्राप्त, साक्षी पुकार पर अनुपस्थित उसे गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया जावे ।

पूर्व तिथि पर साक्षी प्रदीप भारद्वाज की ओर से श्री के.के. शुक्ला अधि. ने मेमो पेश करते हुए आवेदनपत्र उसका स्वास्थ्य खराब होने से साक्ष्य हेतु न्यायालय में अनुपस्थित होने के कारण उसे तामीली नहीं भेजे जाने का निवेदन किया गया था जो बाद विचार आवेदनपत्र स्वीकार

करते हुए श्री शुक्ला अधि. को आगामी दिनांक पर साक्षी प्रमोद को स्वयं न्यायालय में उपस्थित रखने हेतु निर्देशित किया गया था । किन्तु साक्षी प्रदीप भारद्वाज आज भी अनेक पुकारों पश्चात अनुपस्थित है, श्री के.के. शुक्ला अधिवक्ता भी अनुपस्थित हैं । अतः साक्षी प्रदीप भारद्वाज को गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया जावे ।

साक्षीगण हेमन्त दुबे व सुनीत उर्फ छोटू के जमानती वारण्ट इस समय बाहर जाने की टीप के साथ अदम प्राप्त हुए हैं, उन्हें पुनः जमानती वारण्ट इस टीप के साथ मय पत्र के जारी किए जावें कि टी.आई. टीम गठित कर अति आवश्यक रूप से वारण्टों की तामीली कराकर साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु 10 सितंबर 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल ।

आरोपीगण राजवीर, संतोष एवं राजकुमार सहित एवं आरोपी छोटेलाल अनुपस्थित द्वारा श्री एम0के0 दुबे अधिवक्ता ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश किया जो बाद विचार स्वीकार किया जाता है ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित ।

साक्षीगण डॉ अमर सिंह, डी.के. दुबे एवं डॉ विमल जैन को जे.ए.एच. अस्पताल ग्वालियर के पते पर जारी समंस वापिस इस न्यायालय को अदम प्राप्त कि उपरोक्त नाम के डाक्टर इस अस्पताल में पदस्थ नहीं हैं ।

अभिलेख का अवलोकन किया गया । डॉ. डी.के. दुबे के नाम से जो संमंस भेजा गया है, जिसका सही नाम **डॉ आर.के. दुबे** है, इसके अलावा डॉ विमल जैन को जे.ए.एच. अस्पताल के पते पर संमंस भेजा गया है, जिसका सही पता रि लाइफ अस्पताल माधव डिस्पेंसरी, अस्पताल रोड ग्वालियर होना पाया गया है । डॉ अमर सिंह का संमंस पर पता जे.ए.एच. अस्पताल लिखा गया है, जबकि उक्त साक्षी का सही पता ट्रामा सेंटर, जे.ए.एच. अस्पताल ग्वालियर होना पाया गया है । अतः उक्त साक्षीगण को उपरोक्त सही पतों पर तामील जारी हों । जिन पर अति आवश्यक रूप से तामील करायी जाने की टीप अंकित हो । शेष साक्ष्य जरिये संमंस तलब हो ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक— 16 एवं 18 फरवरी 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल ।

आरोपी देशराज सहित श्री पी.एन. भट्टेलेअधिवक्ता ।

आरोपी अवनीश एवं रविन्द्र सहित द्वारा श्री बी.एस. यादव अधिवक्ता ।

आरोपी अशोक सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित ।

साक्षी एस.आई. सतीश सिंह चौहान का संमंस बाद तामील प्राप्त, साक्षी पुकार पर अनुपस्थित, अतः उक्त साक्षी को पांच सौ रुपये का जमानती वारण्ट मय धारा—350 जा. फौ. के नोटिस के जारी हो ।

अभियोजन को साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर दिया जाता

है। अतः अभियोजन अपने समस्त साधनों से साक्षियों को अति आवश्यक रूप से उपस्थित रखें।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु 28 जुलाई 2015 को पेश हो।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

आवेदक बलवीर सिंह द्वारा श्री ओ.पी. शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

मूल अभिलेख प्राप्त।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र में दर्शित कारण उचित होने से बाद विचार दाण्डिक अपील क्र. -95/2012 निर्णय दिनांक-16/12/14 के पालन करने हेतु तीन दिवस का समय प्रदान किया जाता है।

प्रकरण दिनांक 17/1/2015 को पेश हो।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रतिलिपि—

श्री पंकज शर्मा, जे.एम.एफ.सी. गोहद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

10/2014

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल।

आरोपी सहित श्री मुरारीलाल मुदगल अधिवक्ता।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित।

साक्षी ए0एस0 तोमर का जारी गिरफ्तारी वारण्ट वापिस प्राप्त नहीं । पुनः गिरफ्तारी वारण्ट मय 350 जा0फौ0 का नोटिस जारी हो । इस संबंध में थाना प्रभारी को पत्र जारी हो । ए0जी0पी0 द्वारा मौखिक निवेदन किया गया कि आज नगर पंचायत चुनाव में पुलिस व्यस्त है, इस कारण पुलिस साक्षी उपस्थित नहीं हो सका है ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत नियत दिनांक—
14 जनवरी 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

289 / 2014

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह बघेल ।

आरोपीगण मनोज, अनिल सहित श्री एन0पी0 कांकर अधिवक्ता ।

आरोपीगण द्वारिका एवं राधाकिशन सहित श्री रमेश यादव अधिवक्ता ।

साक्षी डॉ अनिल कुमार एवं डॉ पी.सी. सक्सैना उपस्थित । डॉ अनिल कुमार को अ.सा.—6 के रूप में पुनः शपथ दिलाई जाकर उनका अपूर्ण कथन पूर्ण किया जाकर परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

साक्षी पी.सी. सक्सैना को अ.सा.—8 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

साक्षी राकेश का जमानती वारण्ट अदम प्राप्त, पुनः आवश्यक रूप से तामील कराये जाने की टीप के साथजारी हो ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक-01/09/2015
को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

57/2012

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0
बघेल ।

आरोपीगण सहित श्री पी0एन0 भट्टेले अधिवक्ता ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित ।

आज दिनांक के लिए साक्षीगण सुरेन्द्र, सुरेश व
महेश के गिरफ्तारी वारण्ट वापिस प्राप्त नहीं । इस संबंध
में थाना प्रभारी को पत्र जारी हो । साक्षीगण सुरेन्द्र, सुरेश
व महेन्द्र को पुनः गिरफ्तारी वारण्ट से प्रथम दिवस के
लिए तलब किया जावे, जिसपर अतिआवश्यक रूप से
तामील करायी जावे की टीप अंकित की जावे ।

साक्षीगण रामबरन व राजेश को द्वितीय दिवस के
लिए जमानती वारण्ट से तलब किया जावे ।

साक्षीगण डॉ संतोष, योगेन्द्र सिंह जादौन व
आर.एस. भदौरिया को तृतीय दिवस के लिए गिरफ्तारी
वारण्ट से तलब किया जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत नियत दिनांक—
11, 12 एवं 13 फरवरी 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक-30/12/15
को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

साक्ष्य में साक्षी डॉ महेश 4:00 बजे उपस्थित हुआ है, चूंकि प्रकरण में आरोपीगण उपस्थित है, इसलिये उसका अ.सा. -3 के रूप में शपथ दिलाकर कथन प्रारंभ किया गया, प्रतिपरीक्षण के दौरान न्यायालय का समय समाप्त होने से तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के द्वारा यह तर्क किया गया कि साक्षी के प्रतिपरीक्षण में अभी उन्हें कम से कम एक दिन का समय और लगेगा, इसलिये आगे प्रकरण नियत कर दिया जावे ।

साक्षी महेश शर्मा अ.सा.-3 चूंकि आज दोपहर पश्चात 4 बजे न्यायालय में उपस्थित हुआ है और पांच बज चुके हैं । साक्षी का प्रतिपरीक्षण पूर्ण होना संभव नहीं है, क्योंकि उक्त साक्षी पर केवल आरोपी अवधेश की ओर से प्रतिपरीक्षा चल रही है, वह भी पूर्ण नहीं है, शेष अभियुक्त की ओर से भी प्रतिपरीक्षा अन्य उपस्थित अधिवक्ता को करना है, चूंकि कल शनिवार का दिन होकर अकार्य दिवस है और साक्षी का कथन अपूर्ण है । अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत **विनोद कुमार विरूद्ध स्टेट ऑफ पंजाब एल.एन.आई.एन.डी. 2015 एस.सी.-46** में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में साक्षी का शेष प्रतिपरीक्षण आगामी कार्य दिवस सोमवार दिनांक-9/2/15 को पेश

हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल ।

आरोपिया सहित श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

अभियोजन साक्ष्य में साक्षी ए0के0 दास उपस्थित ।
उसे शपथ दिलाई जाकर अ.सा.-9 के रूप में परीक्षण
प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया । साक्षी ए.के. दास
की ओर से धारा-350 द.प्र.सं. के नोटिस का जवाब पेश
किया, दर्शित कारण उचित होने से साक्षी को भविष्य में
तारीख पेशी पर उपस्थित रहने के निर्देश के साथ चेतावनी
देते हुए छोड़ा गया । अभियोजन ने अपनी साक्ष्य समाप्त
घोषित की, अतः अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया
जाता है ।

प्रकरण अतिरिक्त अभियुक्त कथन हेतु दिनांक-17
मार्च 2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

आरोपी/अपीलार्थी अनुपस्थित ।

राज्य द्वारा ए.जी.पी. श्री बघेल ।

आरोपी को जारी गिरफ्तारी वारण्ट वापिस प्राप्त
नहीं । पुनः गिरफ्तारी वारण्ट मय पत्र के भेजा जावे
जिसपर अदम की दशा में तामील कुनिंदा के उपस्थित रहने
हेतु नोट लगाया जावे ।

प्रकरण आरोपी/अपीलार्थी की उपस्थिति हेतु

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0
बघेल ।

आरोपीगण रामरूप, भूरे, वकील, दशरथ, जवानसिंह,
सोनू व रामवीर सहित श्री राजीव शर्मा अधिवक्ता ने
वकालतनामा पेश किया । आरोपीगण की ओर से श्री
जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता भी उपस्थित हैं ।

अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

अभियोजन साक्ष्य में साक्षीगण दिलीप, संदीप
उपस्थित, उन्हें शपथ दिलाई जाकर क्रमशः अ.सा.-7 व 8
के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।
साक्षीगण राजकुमार, ब्रजेश, वैजनाथसिंह व ए.एस.आई.
राजपाल सिंह के समंस बाद तामील प्राप्त, साक्षीगण पुकार
पर अनुपस्थित, उन्हें पांच पांच सौ रुपये के जमानती
वारण्ट से तलब किया जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु 16 व 17 जुलाई 2015
को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,

पुनश्च—

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत् 13 व 15 अप्रैल 15 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

अपीलार्थी/आरोपी फूलाबाई सहित श्री एम0एस0 यादव अधिवक्ता ।

शेष आरोपी सरमन सहित अनुपस्थित द्वारा श्री यादव अधिवक्ता ने हाजिरी माफी आवेदनपत्र पेश, जो बाद विचार स्वीकार किया जाता है ।

आरोपी/अपीलार्थी परशुराम न्यायिक अभिरक्षा से पेश नहीं ।

प्रत्यर्थी/शासन द्वारा श्री भगवान सिंह एजीपी ।

प्रकरण आज अंतिम तर्क हेतु नियत है ।

उभयपक्ष अधिवक्ता के अंतिम तर्क सुने गये ।

प्रकरण निर्णय हेतु दिनांक—21/01/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

इसी समय आहत/फरियादीगण पुत्तूलाल, राकेश व संजय की ओर से श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता ने एक आवेदनपत्र राजीनामा अनुमति बाबत धारा—320(2) जा.फौ. का आवेदनपत्र मय फोटो चस्पा करके पेश किया । दोष सिद्ध अपराध धारा—324/34 भा0द0वि0 का है । न्याय

दृष्टांत मोहम्मद अब्दुल सुफन लश्कर एवं अन्य विरुद्ध आसाम राज्य 2008 (9) एस.सी.सी.333 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार कि जिस दिनांक को अपराध घटित हुआ है यदि उस दिनांक को वह अपराध समझौता योग्य है तो पश्चावर्ती संशोधन लागू नहीं होगा और समझौता स्वीकार किया जायेगा । जिसके अनुपालन में एवं घटना वर्ष 2005 की होने से न्यायालय की अनुमति से शमनीय है तथा राजीनामा से पक्षकारों के मध्य मधुर संबंध कायम होने की संभावना है, अतः बाद विचार न्यायहित में फरियादीगण को आरोपीगण/अपीलार्थीगण से राजीनामा करने की अनुमति उपरोक्त दर्शित न्याय दृष्टांत के पालन में भी प्रदान की जाती है ।

उभयपक्ष की ओर से लिखित राजीनामा आवेदनपत्र पेश किया गया, राजीनामा के संबंध में फरियादीगण पुत्तूलाल, राकशे एवं संजय के समझौता कथन अंकित किए गये । फरियादीगण की पहचान श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता द्वारा की गयी है एवं अपीलार्थीगण की पहचान श्री ए.के. राणा अधिवक्ता द्वारा की गयी है। फरियादीगण की फोटो को भी श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता ने पहचाना है, उभयपक्ष द्वारा राजीनामा स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दवाब या धौंस के किया जाना प्रकट होता है । अतः राजीनामा विधि अनुकूल होने से बाद विचार स्वीकार किया जाता है । राजीनामा के आलोक में आरोपीगण/अपीलार्थीगण गोपाल, जगदीश, बट्टी एवं पूरन को दोषसिद्ध अपराध धारा-324/34 भा0द0वि0 के अपराध से भी **दोषमुक्त** किया जाता है । आरोपीगण द्वारा जमा अर्थदण्ड वापिस किया जावे ।

प्रकरण में आरोपीगण/अपीलार्थीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं ।

आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०

प्रतिलिपि—

श्री केशव सिंह जे एम एफ सी गोहद की ओर सूचनार्थ
व पालनार्थ प्रेषित ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी०एस०
बघेल ।

आरोपी सहित श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

अभियोजन साक्ष्य में साक्षी दीपक लोधी उपस्थित ।
उसे पुनः शपथ दिलाई जाकर अ.सा.—९ के रूप में
प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

साक्षी काजू सिंह का संमंस बाद तामील प्राप्त ।
साक्षी को पुकार लगवायी गयी । पुकार पर अनुपस्थित ।

अतः उसे दो हजार रुपये के जमानती वारण्ट से तलब किया जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत नियत दिनांक-09/01/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल ।

आरोपी सहित श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित ।

साक्षीगण ए.एस.आई. अवनीश शर्मा एवं निरीक्षक कुशल सिंह भदौरिया के गिरफ्तारी वारण्ट अदम्यतामील प्राप्त । उक्त दोनों साक्षीगण को पुनः गिरफ्तारी वारण्ट धारा-350 जा.फौ. के नोटिस के साथ भेजे जावें ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत नियत दिनांक-02/02/2014 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी०एस० बघेल ।

आरोपीगण सहित श्री टी.एन. शुक्ला अधिवक्ता ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित ।

साक्षी आलोक शर्मा का संमंस अदम तामील प्राप्त ।
पुनः संमंस जारी हो ।

साक्षीगण कुशल सिंह भदौरिया एवं सोनपाल सिंह के जमानती वारण्ट बाद तामील प्राप्त । साक्षीगण पुकार पर अनुपस्थित । अतः उक्त दोनों साक्षीगण को गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया जावे ।

साक्षी ए०एस०आई० प्रमोद एवं प्र.आर. राजेन्द्र सिंह के संमंस भी बाद तामील प्राप्त । साक्षीगण पुकार पर अनुपस्थित । अतः उन्हें पांच पांच हजार रुपये के जमानती वारण्ट से तलब किया जावे । उक्त सभी साक्षीगण को धारा 350 जा.फौ. के नोटिस जारी हों ।

प्रकरण साक्षीगण कुशल सिंह भदौरिया, ए०एस०आई० ,प्रमोद, प्र.आर. राजेन्द्र सिंह एवं सोनपाल सिंह की साक्ष्य हेतु 06/02/2015 को एवं शेष साक्ष्य हेतु 07/02/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

राज्य द्वारा ए.जी.पी. श्री भगवान सिंह बघेल ।
आरोपीगण सहित श्री टी०एन० शुक्ला अधिवक्ता
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।
अभियोजन साक्षी प्रमोदसिंह भदौरिया उपस्थित ।
साक्षी प्रमोदसिंह भदौरिया अ०सा०१४ को परीक्षण प्रतिपरीक्षण
उपरांत उन्मुक्त किया गया । ।

साक्षी राधेश्याम शर्मा व दिनेश कुमार शर्मा जारी
गिरफ्तारी वारण्ट अदम तामील वापिस प्राप्त । उक्त
साक्षियों को पुनः गिरफ्तारी वारण्ट जारी किए जावें एवं
इस संबंध में थाना प्रभारी मौ को पत्र जारी किया जावे एवं
गिरफ्तारी वारण्ट अदम तामील भेजने के संबंध में थाना
प्रभारी मौ का स्पष्टीकरण भी लिया जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक—

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा लोक अभियोजक श्री बी0एस0
बघेल ।

आरोपीगण अनुपस्थित । आरोपीगण की ओर
से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ने धारा 317 द0प्र0स0 के
तहत आवेदन प्रस्तुत कर आरोपीगण की जर्ये अभिभाषक
उपस्थिति मान्य किए जाने की प्रार्थना की । आवेदन पत्र में
दर्शित कारण को देखते हुए आवेदन पत्र इस निर्देश के
साथ स्वीकार किए जाते हैं कि आगामी नियत दिनांक को
आरोपीगण को आवश्यक रूप से उपस्थित रखा जावे ।

एजीपी द्वारा आरोपीगण के बचाव साक्ष्य में सूची अनुसार साक्षियों को आहूत किए जाने संबंधी आवेदन पत्र का जवाब पेश किया नकल बचाव पक्ष के अधिवक्ता को दी गयी। आवेदन पत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदन पत्र पर विचार किया गया।

आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र में संलग्न की गयी सूचीबद्ध साक्षियों को बचाव साक्षी के रूप में तलब किए जाने की प्रार्थना इस आधार पर की गयी है कि साक्षी उनके कहने से न्यायालय में नहीं आ रहा है जोकि प्रकरण के लिए न्यायोचित निराकरण हेतु आवश्यक साक्षी है और योगेश देशमुख तत्कालीन पुलिस अधीक्षक भिण्ड, एम0एल0 शर्मा तत्कालीन एसडीओपी

मेहगांव के द्वारा प्रकरण की जांच की गयी थी। जो थाटीपुर मुरार ग्वालियर में रहते हैं तथा रणवीर सिंह व आदिरामसिंह, करतारसिंह घटनास्थल के गवाह हैं जिन्होंने जांच के दौरान कथन दिए थे। आरोपी बैजनाथ शर्मा भाजपा की एक मीटिंग में उपस्थित था जिसमें पूर्व सांसद मुरैना अशोक अर्गल, पार्श्व रमेश उपाध्याय व राजकुमार अग्रवाल भी उपस्थित थे जोकि बैजनाथ की घटनास्थल पर अनुपस्थिति को सिद्ध करेंगे आरोपी रमेश घटना दिनांक को यशपाल जाट ब्रांच मैनेजर के यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित था वहां पर महेश कुमार शर्मा, कुलदीप शर्मा, बंशीलाल भी मौजूद थे। आरोपी दामोदर घटना दिनांक को अपने खेतों में पानी दे रहा था और लगे हुए खेत में महेश शर्मा व बाबूसिंह भी थे। आरोपी योगेश उर्फ बंटी भी घटनास्थल पर उपस्थित न होकर अपने घर पर था जिसके संबंध में दिनेश शर्मा, सुरेन्द्रसिंह की वे साक्ष्य कराना चाहते

हैं इसलिए सूचीबद्ध साक्षियों को आहूत किया जावे। इसी प्रकार का बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क भी किया गया है।

अभियोजन की ओर से आवेदन पत्र का जवाब में विरोध करते हुए यह लेख किया है कि आरोपियों स्वयं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना कथन बचाव साक्ष्य में लेखबद्ध करा सकते हैं। आवेदन में वर्णित साक्षियों में जो शासकीय सेवा में रहे हैं उनका कथन कराया जाना आवश्यक नहीं है और आवेदनपत्र न्यायसंगत नहीं है इसलिए आवेदन निरस्त कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावे। तर्कों में यह भी कहा है कि आवेदन पत्र केवल प्रकरण को विलंबित करने के उद्देश्य से पेश किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण एफ0आर0 प्रस्तुत हुई थी और एफआर अस्वीकार की जाकर उस पर से आरोपीगण के विरुद्ध धारा 307 एवं [307/34](#) भादवि का संज्ञान में लिया गया और कार्यवाही की गयी जोकि इस न्यायालय में सर्वाधिक पुराना प्रकरण होकर वर्ष 2005 का है जिस पर से सत्रवाद क्र0 [201/05](#) दिनांक 03.10.05 से कार्यवाही में लिया गया है। आरोपीगण की ओर से जिन साक्षियों को तलब करने की प्रार्थना की गयी है उन्हें प्रकरण में इसलिए आहूत किए जाने की आवश्यकता नहीं है कि जिस जांच पर से पुलिस द्वारा खात्मा प्रतिवेदन पेश किया गया था उसे स्वीकार न किया जाकर प्रकरण का संज्ञान लिया गया है। जहां तक आरोपीगण की अलग-अलग जगह पर घटना दिनांक को उपस्थिति बताये जाने का प्रश्न है और उससे संबंधित व्यक्तियों को साक्ष्य में प्रस्तुत करने का संबंध है उन्हें आरोपीगण स्वयं पेश कर सकते हैं जो सूची दी गयी है उनमें नाम वल्लिदयत व स्पष्ट पते का अभाव है जिस प्रकार से 17 साक्षियों की सूची दी गयी है जिसमें आरोपीगण ने स्वयं के कथन देना भी व्यक्त किया है उन्हें आहूत किए

जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है न ही वह न्यायसंगत है और अभियोजन पक्ष का यह तर्क कि प्रकरण को विलंबित करने के आशय से यह आवेदन दिया गया है उसे महत्वहीन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ऐसा स्वाभाविक ही नहीं है कि एक भी साक्षी जिन्हें आरोपीगण अपनी उपस्थिति के बारे में परीक्षित कराना चाहते हैं उनमें से कोई भी न्यायालय में आने से इंकार करें। योगेश देशमुख व एम0एल0 शर्मा शासकीय सेवक रहे हैं किन्तु एफआर स्वीकृत नहीं हुई इसलिए उन्हें आहूत किए जाने की आवश्यकता नहीं है और प्रमाण भर अभियोजन पर रहता है ऐसी स्थिति में आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र कतई सदभावना पूर्ण प्रतीत नहीं होता है। फलतः निरस्त किया जाता है व आरोपीगण को निर्देशित किया जाता है

कि वे बचाव साक्ष्य में जो भी साक्ष्य पेश करना चाहें व स्वयं के कथन देना चाहें तो स्वयं के व्यय पर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रकरण अत्यधिक पुराना हो चुका है इसलिए आगामी दिनांक पर बचाव साक्ष्य पेश न होने की दशा में आगे अवसर दिए जाने पर विचार किया जावेगा।

प्रकरण बचाव साक्ष्य हेतु दिनांक.....
को पेश हो।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०

साक्षीगण मुन्ना का जमानती वारण्ट बाद तामील प्राप्त । साक्षी पुकार पर अनुपस्थित । अतः उसे गिरफ्तारी वारण्ट से तल किया जावे ।

साक्षी हरीओम का जमानती वारण्ट वारण्ट उसके नहीं मिलने की टीप के साथ वापिस अदम प्राप्त । उक्त साक्षी को पुनः जमानती वारण्ट इस टीप के साथ भेजा जावे कि साक्षी के परिजनों से उसका पता ज्ञात कर उसपर आवश्यक रूप से तामील का निर्वाह कराया जावे ।

साक्षी जयराम का जमानती वारण्ट बाद तामील प्राप्त । उक्त साक्षी को अपर लोक अभियोजन ने साक्ष्य में तलब नहीं कराना व्यक्त कर उसे गिवन अप किया, अतः उक्त साक्षी को उक्तानुसार साक्ष्य सूची में गिवन अप अंकित किया जावे ।

प्रकरण पूर्ववत दिनांक-25/02/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

11 / 03 / 2015

अपीलार्थी/शासन द्वारा श्री बी0एस0 बघेल एड0।
प्रत्यर्थी/आरोपी सहित श्री के0सी0 उपाध्याय एड0।
प्रकरण निर्णय हेतु नियत है, प्रकरण में पृथक से
निर्णय लिखाया जाकर अपीलार्थी/अभियोजन की ओर से
प्रस्तुत अपील निरस्त की गई।
निर्णय की एक प्रति निःशुल्क अपीलार्थी/अभियोजन
को दी जावे।
प्रत्यर्थी/आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये
जाते हैं।
निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का
अभिलेख वापिस भेजा जावे।
प्रकरण परिणाम पंजी में अंकित कर अभिलेखागार
भेजा जावे।

निगरानीकर्ता द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रत्यर्चीगण अनुपस्थित ।
उक्त पुनरीक्षणयाचिका प्रत्यर्चीगण की उपस्थिति एवं
मूल अभिलेख प्राप्ति हेतु विचाराधीन है । प्रत्यर्चीगण
अनिर्वाहित हैं ।
निगरानीकर्ता अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि
उक्त प्रकरण से संबंधित मूल एम.जे.सी. प्रकरण में नेशनल
लोक अदालत को समझौते के आधार पर निराकरण हो
गया है ।
अतः उक्त परिस्थिति में प्रत्यर्चीगण को आहूत किए

जाने की आवश्यकता नहीं है।

अतः पुनरीक्षणयाचिका तर्कों के आधार पर निराकृत किये जाने योग्य पायी जाती है। जिसपर पुनरीक्षण कर्ता के विद्वान अधिवक्ता भी सहमत हैं।

अतः पुनरीक्षणयाचिका पर पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये।

प्रकरण आदेश हेतु मध्यांतर पश्चात पेश हो।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद भिण्ड, म.प्र.

मध्यांतर पश्चात

निगरानीकर्ता द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क०-1 द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल
अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क०-2 द्वारा श्री के०पी० राठौर अधिवक्ता।

उभयपक्ष अधिवक्ता के अंतिम तर्क सुने गये।

प्रकरण आदेश हेतु 31/1/15 को पेश हो।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

निगरानीकर्ता द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क०-1 द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल
अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क०-2 द्वारा श्री के०पी० राठौर अधिवक्ता।

आदेश प्रथक से टंकित कराया जाकर घोषित किया गया। आदेशानुसार वाद विचार पुनरीक्षण याचिका निरस्त की गयी।

आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो।

निगरानीकर्ता द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित ।

उक्त पुनरीक्षणयाचिका प्रत्यर्थीगण की उपस्थिति हेतु
विचाराधीन है । प्रत्यर्थीगण अनिर्वाहित हैं ।

अभिलेखागार गोहद को मांगपत्र भेजकर मूल
इशतगासा का अभिलेख तलब किया गया । जिसपर
सहायक अभिलेखागार द्वारा इस आशय की टीप लगायी
गयी है कि उक्त प्रकरण का विनिष्ठीकरण किया जा चुका
है । आलोच्य आदेश मुताबिक मूल परिवाद धारा-203 द.प्र.
सं. की कार्यवाही करते हुए खारिज किया गया था । ऐसे
में प्रत्यर्थीगण को आहूत किए जाने की आवश्यकता नहीं
है । पुनरीक्षण कर्ता के विद्वान अधिवक्ता को उक्त तथ्य से
अवगत कराया गया कि मूल प्रकरण विनिष्ठीकृत हो चुका
है और मूल अभिलेख से संबंधित उनकी शक्ति व आधिपत्य
में यदि कोई दस्तावेज हो तो उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं ।
जिसपर पुनरीक्षण कर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त
किया गया कि उनके पास अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये
गये परिवादपत्र के अलावा और कोई सामग्री नहीं है । ऐसी
स्थिति में मूल प्रकरण का पुर्ननिर्माण संभव नहीं है ।

अतः पुनरीक्षणयाचिका तर्कों के आधार पर निराकृत
किये जाने योग्य पायी जाती है । जिसपर पुनरीक्षण कर्ता
के विद्वान अधिवक्ता भी सहमत हैं ।

अतः पुनरीक्षणयाचिका पर पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान
अधिवक्ता के तर्क सुने गये ।

प्रकरण आदेश हेतु मध्यांतर पश्चात पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश

भिण्ड, म.प्र.

निगरानीकर्ता द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधि० ।

प्रत्यर्चीगण द्वारा श्री अशोक पचौरी अधि० ।

उभयपक्ष अधिवक्ता के अंतिम तर्क सुने गये ।

प्रकरण निर्णय हेतु मध्यांतर बाद पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

मध्यांतर पश्चात

निगरानीकर्ता/आरोपीगण द्वारा श्री आर०पी.एस.

गुर्जर अधि० ।

प्रत्यर्चीगण द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी. ।

आदेश प्रथक से टंकित कराया जाकर घोषित किया गया । आदेशानुसार वाद विचार पुनरीक्षण याचिका निरस्त की गयी ।

आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

राज्य द्वारा ए.जी.पी. श्री भगवान सिंह बघेल ।

आरोपी प्रेमनारायण व अशोक द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव एड० उप० ।

आरोपीगण प्रेमनारायण एवं अशोक की ओर से आज की हाजिरी माफी बाबत आवेदन पेश किया बाद विचार इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आगामी पेशी पर आरोपीगण को आवश्यक रूप से उपस्थित रखा जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

अभियोजन साक्ष्य में साक्षी मनोज माथुर तत्कालीन एस०डी०एम० एवं यू०एन०एस० परिहार अनु० । उन्हें पूर्व में कई बार तामीलें जारी करने के बावजूद भी उक्त साक्षीगण उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अतः साक्षी मनोज माथुर तत्कालीन एस०डी०एम० को उनके नवीन पते विजयपुर जिला श्योपुर पर जयें गिरफ्तारी वारण्ट तलब किया जावे। साथ ही 350 जा०फौ० का नोटिस भी भेजाजावे। एवं साक्षी यू०एन०एस० परिहार को 500 रुपये का जमानती वारण्ट उसके नवीन पते पी०टी०एस० तिघरा पर जारी किया जावे। तथा वारण्ट पर नोट लगाया जावे कि प्रकरण काफी पुराना है अतः तामीली के हरसंभव प्रयास किये जावें ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु
दिनांक-22/01/2015 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०

राज्य द्वारा ए.जी.पी. श्री भगवान सिंह बघेल ।
आरोपी सहित श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से पेश किए गये आवेदनपत्र
अंतर्गत धारा-216 द.प्र.सं. का आरोपी की ओर से श्री
कमलेश शर्मा अधिवक्ता ने जवाब पेश किया, नकल ए.जी.पी.
को दी गयी । आवेदनपत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये ।
अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदनपत्र पर
विचार किया गया । अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गये
आवेदनपत्र में इस आशय की प्रार्थना की गयी है कि उक्त
प्रकरण में साक्षी कुमारी रागिनी के न्यायालयीन कथन में
आये तथ्य को देखते हुए तथा पुलिस द्वारा मृतिका के पेश
किए गये छायाचित्र के आधार पर आरोपी के विरुद्ध

धारा-302 भा0द0वि0 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाया गया है । इसलिये उसके विरुद्ध धारा-302 भा0द0वि0 का आरोप विरचित किया जावे । जिसका आरोपी की ओर से विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है । साक्षी कुमारी रागिनी के कथन के पैरा-3 व 5 में उसने स्पष्ट रूप से फांसी लगाते हुए आरोपी को देखने से इंकार किया है तथा प्रश्न उत्तर में लिये गये स्पष्टीकरण में भी उसने प्रतिपरीक्षण में बतायी गयी बात को सही कहा है, इसलिये उसके आधार पर कोई आरोप हत्या का लगाये विस्तृत किए जाने योग्य नहीं है तथा वह विरोधाभासी होकर विश्वसनीय नहीं है, इसलिये अभियोजन का आवेदनपत्र निरस्त किया जावे । जबकि विद्वान ए.जी. पी. ने आवेदनपत्र अनुरूप तर्क किए हैं ।

अभिलेख पर अभियोजन की ओर से वर्तमान स्थिति में 12 साक्षियों के कथन हो चुके हैं । पुलिस द्वारा धारा-306 भा0द0वि0 का अभियोगपत्र पेश किया गया था । उसी के तहत विद्वान जे.एम.एफ.सी. न्यायालय ने उसे उपार्पित किया है और दिनांक-20/8/2014 को धारा-306 भा0द0वि0 के तहत आरोप विरचित कर विचारण किया गया है । प्रकरण में शव परीक्षण करने वाले डाक्टर आर. तिमलेश अ.सा.-7 से इस संबंध में प्रतिपरीक्षा पैरा-5 में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में यह बात आयी है कि यदि मृतिका को नींद की गोली या बेहोशी की दवा खिलाकर लटकाकर मारा गया हो तो वह नहीं कह सकता है और यदि व्यक्ति के पैर जमीन पर टिके हों या घुटने के बल हों तो वह आत्महत्या नहीं कर सकता है । इसी आधार पर छायाचित्रों जिन्हें अभियोगपत्र का अंग बनाया गया, उनके आधार पर अभियोजन की ओर से आरोप परिवर्धित किये जाने की प्रार्थना की गयी है । जहां तक साक्षी रागिनी अ. सा.-11 का प्रश्न है, उसके अभिसाक्ष्य का गुणदोषों पर ही विश्लेषण किया जा सकता है कि वह विश्वसनीय होगी या नहीं । लेकिन आरोप विरचित करते समय प्रथम दृष्टया अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार किया जाना चाहिये । उस समय जो सामग्री प्रस्तुत की गयी हो उसके विवरण

की व्याख्या नहीं करना चाहिये । क्योंकि वह गुणदोषों पर ही देखा जा सकता है । जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत रामप्यारे विरुद्ध रामप्यारी 2002 भाग-4 एम.पी.एल.जे. पेज-54 में प्रतिपादित किया है और न्याय दृष्टांत सुरेश उर्फ पप्पू भुंजलमल करानी विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2001) बॉल्यूम । एस.सी. सी. पेज-703 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि आरोप लगाते समय विचारण न्यायालय को यह देखना चाहिये कि जो सामग्री पेश की गयी है वह अग्रिम कार्यवाही हेतु पर्याप्त है या नहीं । उस समय यह नहीं देखना चाहिये कि जो दोषसिद्धि होगी या नहीं होगी ।

आर्टिकल 01 लगायत- आर्टिकल 07 के छायाचित्रों में मृतिका के जमीन से पैर चिपके घुटने मुड़े दर्शाये गये हैं, जिनकी भी गुणदोषों पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है और आरोप के संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि प्रस्तुत की गयी सामग्री के आधार पर जो अधिकतम आरोप विरचित हो सकता हो, उन्हें किया जाना चाहिये । ऐसी स्थिति में अभियोजन का आवेदनपत्र धारा-302 भा0द0वि0 के तहत वैकल्पिक आरोप आरोपी के विरुद्ध लगाये जाने योग्य प्रतीत होता है । फलतः अभियोजन की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपी लखन के विरुद्ध वैकल्पिक आरोप धारा-302 भा0द0वि0के तहत पृथक से तैयार किया गया । पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध से इंकार कर विचारण चाहा उनकी प्ली अंकित की गई ।

आरोपी को धारा 294 द0प्र0स0 के तहत अभियोजन दस्तावेजों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कहे जाने पर उन्होंने समस्त दस्तावेज अस्वीकार करना व्यक्त किया ।

अभियोजन एवं आरोपी अधिवक्ता ने पूछ जाने पर कि जो अभियोजन साक्षी आहूत किए जा चुके हैं उनमें से किसी को पुनः साक्ष्य हेतु तलब करना है अथवा नहीं । तो उन्होंने किसी साक्षी को नहीं तलब करना व्यक्त किया ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पुनः थोड़ी देर बाद पेश हो ।

राज्य द्वारा ए.जी.पी. श्री भगवान सिंह बघेल ।
आरोपीगण सहित श्री प्रवेश कुमार वर्मा अधिवक्ता ।
प्रकरण आज आरोपीगण के आवेदनपत्र अंतर्गत
धारा-91 द.प्र.सं. के जवाब तर्क हेतु नियत है ।

अभिलेख पर थाना प्रभारी गोहद की ओर से दि.
-19/12/2014 को आहत पूरन सिंह की एक्सरे रिपोर्ट
के संबंध में प्रस्तुत किए गये, जवाब को ही विद्वान ए.जी.पी.
ने मान्य करते हुए आवेदनपत्र निराकृत करने की प्रार्थना
की । अतः धारा-91 द.प्र.सं. के आवेदनपत्र पर उभयपक्ष
को सुना गया । अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

आवेदनपत्र पर विचार किया गया । आरोपीगण की
ओर से आहत पूरन सिंह की दिनांक-5/11/2013 को
हुई एम.एल.सी. में एक्सरे परीक्षण की सलाह
चिकित्सक द्वारा दिया जाना और एक्सरा परीक्षण सी.एच.
सी. गोहद में कराया जाना बताया गया है, किन्तु अनुसंधान
अधिकारी द्वारा एक्सरे रिपोर्ट को छिपाया गया और पेश
नहीं किया गया है, जो उनके आधिपत्य में है इसलिये
उसे एक्सरे प्लेट के बचाव साक्ष्य में तलब किये जाने की
प्रार्थना की है । जिसका विद्वान ए.जी.पी. द्वारा मौखिक रूप
से विरोध कर तर्क किया गया कि थाना प्रभारी की रिपोर्ट
मुताबिक दिनांक-30/12/2014 तक कोई भी एक्सरे
एम.एल.सी. के आधार पर होना नहीं पाया गया है ।

थाना प्रभारी गोहद द्वारा दिये गये लेखीय जवाब पर
मेडीकल ऑफीसर सी.एच.सी. गोहद की टीप भी अंकित है
जिसके मुताबिक एम.एल.सी. एक्सरे रिपोर्ट अनुसार
दिनांक-5/11/2014 से 30/11/2014 के दरम्यान
कोई एक्सरा होना नहीं पाया गया है । ऐसी स्थिति में

प्रस्तुत आवेदनपत्र स्वीकार योग्य न होने से वाद विचार **निरस्त** किया जाता है । बचाव पक्ष की ओर से बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना व्यक्त कर बचाव साक्ष्य समाप्त घोषित की । अतः बचाव साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है ।

उभयपक्ष को अंतिम तर्क हेतु कहे जाने पर उभयपक्ष ने अंतिम तर्क हेतु समय चाहा, जो बाद विचार इस निर्देश के साथ प्रदान किया गया कि आगामी दिनांक पर आवश्यक रूप से अंतिम तर्क पेश किए जावें ।

प्रकरण अंतिम तर्क हेतु दिनांक-24/12/2014 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

आज अधिवक्तागण सामूहिक रूप से हडताल पर होकर कार्य से विरत हैं ।

आरोपी/अपीलार्थी रामनिवास स्वयं उपस्थित ।

अनावेदक शासन द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल एजीपी उपस्थित ।

प्रकरण निर्णय हेतु नियत है ।

निर्णय प्रथक से टकित कराया जाकर घोषित किया गया । निर्णय अनुसार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया दण्डादेश पूर्णतः पुष्टि योग्य होकर यथावत रखने योग्य पाया गया है एवं दण्डाज्ञा के बिन्दु पर भी आरोपी/अपीलार्थी की अपील **निरस्त** की गयी है और दण्डादेश को यथावत रखा गया है ।

आरोपी/अपीलार्थी के अपील में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं, उसे न्यायिक निरोध में लिया जाकर दण्डाज्ञा भुगतने के लिए जेल भेजा जावे । आरोपी/अपीलार्थी न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है, आरोपी का धारा-428 जा.फौ. का प्रमाणपत्र संलग्न किया जावे ।

अपीलार्थी/आरोपी को निर्णय की निःशुल्क प्रति प्रदान की जावे ।

प्रकरण में निराकरण योग्य कोई संपत्ति नहीं है ।
निर्णय की प्रति आरोपी/अपीलार्थी को निःशुल्क
प्रदान की गयी ।
निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का
अभिलेख वापिस हो ।
प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा
हो ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.पी.पी. ।
आरोपी मनोज कोरी सहित श्री यजवेन्द्र
श्रीवास्तव एड. ।
प्रकरण बचाव साक्ष्य हेतु नियत है ।
बचाव साक्षी रामौतार उपस्थित । उसे शपथ दिलाई
जाकर वा.सा.-1 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत
उन्मुक्त किया गया ।
आरोपी अधिवक्ता ने बचाव साक्ष्य समाप्त घोषित
की । अतः बचाव साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है ।
प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया जाता है ।
प्रकरण अंतिम तर्क हेतु दिनांक-27/1/2015 को
पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

अपीलार्थीगण द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी क्र.-1 व 2 द्वारा श्री एम.एल. मुदगल
अधिवक्ता ।

उभयपक्ष की ओर से लिखित राजीनामा आवेदनपत्र पेश किया गया, राजीनामा के संबंध में उनके समझौता कथन अंकित किए गये । अपीलार्थीगण की पहचान श्री के. पी. राठौर अधिवक्ता द्वारा एवं प्रत्यर्थीगण की पहचान श्री एम.पी. मुदगल अधिवक्ता द्वारा की गयी है। अनुपस्थित अपीलार्थी क्र.-1 व 3 की ओर से श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता ने राजीनामा करना स्वीकार किया उनके भी इस संबंध में कथन लिये गये ।

प्रकरण राजीनामा आवेदनपत्र पर आदेश हेतु नेशनल लोक अदालत दि.-13/12/2014 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

आवेदकगण द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता ।

अनावेदक क्र.-2 व 3 द्वारा श्री सतीश मिश्रा
अधिवक्ता ।

अनावेदक क्र.-1 अनिर्वाहित ।

प्रकरण आज समझौते पर विचार व आदेश हेतु नेशनल लोक अदालत में पेश हुआ ।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में आवेदकगण एवं अनावेदकगण के मध्य आपसी समझौता हो जाने के कारण अनावेदक क्र.-1 नैतिक उर्फ प्रेमराज नाबालिग होने तक वह अपने नाना नानी अनावेदक क्र.-2 व 3 के साथ रहेगा एवं बालिग होने पर वह अपनी स्वेच्छा से रहने बाबत

किया गया है । एवं प्रकरण की इसी प्रकरण में निरस्त किए जाने का निवेदन किया है । उभयपक्ष द्वारा उक्त समझौता स्वेच्छापूर्वक किया जाना स्वीकार किया है । ऐसे में समझौता की शर्तें विधि विरुद्ध होना प्रतीत नहीं होती हैं । ऐसी स्थिति में समझौता नेशनल लोक अदालत में वाद विचार स्वीकार किया जाता है और समझौता के आलोक में प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

अपीलार्थीगण द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थी क्र.-1 अनिविवाहित ।

प्रत्यर्थी क्र.-2 एक पक्षीय ।

अपीलार्थीगण की ओर से श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता ने एक आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 14 (14) सी.पी.सी. के तहत पेशकर आवेदनपत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र पेश किया ।

आवेदनपत्र पर विचार किया गया ।

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्र.-1 श्रीमती राजाबाई एक पक्षीय रही है, इसलिये उसे अपीलीय न्यायालय में आदेश 41 नियम 14 (14) सी.पी.सी. के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिवादी क्र.-1 श्रीमती राजाबाई की तामीली कराने से अपीलार्थीगण को छूट प्रदान करते हुए उक्त आवेदनपत्र बाद विचार स्वीकार किया जाता है ।

प्रकरण में आज ही अपीलार्थीगण अधिवक्ता के

अंतिम तर्क सुने गये ।

प्रकरण आदेश हेतु दिनांक-6/12/14 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

अपीलार्थीगण द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थी क्र.-1 द्वारा श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थी क्र.-2 एक पक्षीय ।

प्रकरण आज समझौते पर विचार व आदेश हेतु
नेशनल लोक अदालत में पेश हुआ ।

अपीलार्थी श्रीमती मीरा व मृत अपीलार्थी रतीराम के
वारिस आनंद कुमार, दिनेश कुमार जिनकी सरपरस्त मां
मीराबाई है, उसने उसकी ओर से एवं स्वयं की ओर से
प्रत्यर्थी श्रीमती प्रेमाबाई जो कि प्रकरण की मूल पक्षकार है,
से लिखित समझौता पेश किया है, समझौता के संबंध में
मीराबाई और प्रेमाबाई के समझौता कथन भी लेखबद्ध किए
गये हैं जिसमें उन्होंने समझौता स्वेच्छापूर्वक किया जाना
स्वीकार किया है और समझौता अनुसार प्रेमाबाई जो कि
अपीलार्थी क्र.-1 व 2 की बुआ है, उसने अपने अवयस्क व
असहाय भतीजों के हित में अपने हक को त्याग करते हुए
समझौता बिना किसी दवाब व प्रलोभन के करना व्यक्त
किया है । जैसा कि उसने समझौता कथन में भी व्यक्त
किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय
दिनांक-10/10/11 मुताबिक विवादित संपत्ति में प्रेमाबाई
को समान रूप से 1/2 भाग की भूमिस्वामी
आधिपत्यधारी घोषित किया गया था, किन्तु वह अपना हक
अपने भतीजों के हित में त्यागना चाहती है । ऐसे में
समझौता की शर्तें विधि विरुद्ध होना प्रतीत नहीं होती हैं
और समझौते से अपील की पूर्णतः संतुष्टि हो जाती है ।
ऐसी स्थिति में समझौता नेशनल लोक अदालत में वाद

विचार स्वीकार किया जाता है और समझौता के आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक-10/10/11 को अपास्त करते हुए श्रीमती प्रेमाबाई, वादी/प्रत्यर्द्धी को अपीलार्थीगण आनंद कुमार व दिनेश कुमार के हक में हित त्यागने की अनुमति बाद विचार प्रदान की जाती है, जो विवादित भूमि पर अपनी मां मीराबाई के साथ समान रूप से नामांतरण कराने के हकदार होंगे ।

इस आशय की समझौता डिक्री तैयार की जावे ।

उभयपक्ष अपना अपना वादव्यय स्वयं वहन करेंगे, जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार दोनों में से जो भी कम हो जोड़ी जावे ।

आदेश की प्रति के साथ संलग्न मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय वापिस हो ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

गोहद न्यायालय के निरीक्षण के दौरान अधिवक्ता श्री एन.पी.कांकर एवं श्री कमलेश शर्मा को साक्ष्य हेतु तलब किया गया, किन्तु वे उपलब्ध नहीं हो सके । इससे पूर्व भी श्री कमलेश शर्मा को सूचनापत्र दिनांक-29/10/14 को जिला न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में साक्ष्य देने हेतु तलब किया गया था ।

अतः उपरोक्त दोनों ही अधिवक्तागण की साक्ष्य लेने हेतु श्री डी.सी. थपलियाल अपर जिला न्यायाधीश गोहद को अधिकृत किया जाता है ।

श्री थपलियाल को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री एन.पी. कांकर एवं श्री कमलेश शर्मा अधिवक्तागण के कथन इस शिकायत के संबंध में दर्ज कर मय नस्ती के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें ।

श्री थपलियाल को शिकायत पत्र की प्रति एवं संबंधित अभिलेख प्रक.क.-596/06 ई.फौ. दिनेश शर्मा बनाम जे.पी. मोटर्स आदि जो कुमारी शैलजा गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय से संबंधित है, उपलब्ध कराया जावे ।

नस्ती अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश हो ।

(एस.के. गर्ग)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भिण्ड म.प्र.

राज्य द्वारा ए.जी.पी. श्री बघेल उपस्थित ।

आरोपीगण बाबूराम, अशोक एवं कल्याण सहित श्री के. पी.राठौर अधिवक्ता ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।

अभियोजन साक्ष्य में साक्षी साबुददीन खां उपस्थित उसे शपथ दिलाई जाकर अ.सा.-18 के रूप में परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।

साक्षिया त्रिवेणी की ओर से बालाराम ने उपस्थित होकर आज उसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण साक्ष्य हेतु समय दिये जाने का निवेदन किया, बाद विचार आवेदनपत्र स्वीकार कियाजाकर साक्षी त्रिवेणीबाई को उपस्थित रखने हेतु निर्देशित किया गया ।

साक्षी नरेश, महेन्द्र, एवं आरक्षक उदयवीर के जमानती वारण्ट अदम प्राप्त, पुनः पूर्वानुसार जमानती वारण्ट से तलब किया जावे ।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक-19 व 20/01/15 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

आज प्रकरण लोक अदालत की प्रीसिटिंग में रखा गया
आवेदक की ओर से श्री सुनील कांकर अधि0 ।
अनोवदक क0-1 व 2 द्वारा श्री राजीव शुक्ला अधि0 ।
अनावेदक क0-3 द्वारा श्री राकेश गुप्ता अधि0 ।
पक्षकार उप0 नहीं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने प्रकरण
में समझौता की संभावना व्यक्त की और आगामी दिनांक पर
पक्षकारों को उप0 रखना भी बताया अतः प्रकरण पुनः लोक
अदालत में समझौता की सुलहवार्ता के लिये दिनांक
20/11/14 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)
सदस्य

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी.।
आरोपीगण सहित श्री प्रवेश वर्मा अधिवक्ता ।
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है ।
अभियोजन साक्ष्य अनुपस्थित ।
साक्षी एस.आई. शिवकुमार शर्मा उपस्थित । उसे
शपथ दिलाई जाकर अ.सा.-12 के रूप में परीक्षण
प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया ।
अपर लोक अभियोजक ने अभियोजन साक्ष्य
समाप्त घोषित की । अतः अभियोजन साक्ष्य का अवसर
समाप्त किया जाता है ।
आरोपीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह
धारा-437 (क) जा.फौ. के अंतर्गत जमानत पेश करेंगे ।
प्रकरण अभियुक्त कथन एवं जमानत प्रस्तुति हेतु
दिनांक-12/11/14 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

आवेदक द्वारा श्री भूपेन्द्र कांकर अधिवक्ता उपस्थित ।
अनावेदक क्रमांक-1 व 2 द्वारा श्री शिवराज सिंह
तोमर अधिवक्ता उपस्थित नहीं ।
अनावेदक क्रमांक-3 द्वारा श्री हृदेश शुक्ला

अधिवक्ता उपस्थित नहीं ।

प्रकरण अधि-निर्णय हेतु नियत है ।

आवेदक प्रहलाद की ओर से श्री भूपेन्द्र कांकर अधिवक्ता ने एक आवेदनपत्र इस आशय का पेश किया कि दुर्घटनाकारी वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के संबंध में अस्पष्टता एवं भ्रांति उत्पन्न हो गयी है, इस कारण आवेदक मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश करना चाहता है, एवं इस निमित्त समय दिये जाने की प्रार्थना की ।

आज अनावेदकगण अधिवक्ता उपस्थित नहीं हैं। आवेदनपत्र को देखते हुए आज अधि-निर्णय पारित नहीं किया जा रहा है ।

प्रकरण दिनांक-13/8/2014 को इस आवेदनपत्र पर विचार हेतु रखा जावे ।

(पी.सी. आर्य)

सदस्य

द्वितीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
गोहद जिला भिण्ड

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक ।

आरोपीगण

सहित श्री राजीव शुक्ला एड0 उपस्थित ।

प्रकरण आज आरोप तर्क हेतु नियत है, एजीपी एवं आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता के आरोप पूर्व तर्क सुने गये ।

विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा अभियोग पत्र में उल्लेखित धराओं के तहत आरोप विरचित किये जाने का निवेदन किया, जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपीगण ने कोई अपराध नहीं किया है तथा झूठा फंसाया गया है आरोपीगण पर कोई आरोप नहीं बनता है इसलिए आरोपीगण को उन्मोचित किया जावे ।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मन किया गया । अभियोगपत्र व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जिस पर से आरोपीगण के विरुद्ध

प्रथम दृश्या घटना रात 8 बजे के मध्य बताये जाने पर धारा 457, 326 / 34, 324 / 34 323 / 34 (दो बार) 506 भाग -2 भा0द0वि0 के तहत आरोप बनना प्रतीत होते हैं, तथा जो बिन्दु बचाव पक्ष द्वारा उठाये गये हैं वह जांच का विषय है और उन्मोचित किये जाने योग्य मामला नहीं है । अतः उपरोक्त धराओं के तहत पृथक से आरोप पत्र तैयार किये जाकर आरोपीगण को बारी-बारी से आरोप पढकर सुनाये व समझाये गये उनके द्वारा अपराध से इंकार कर विचारण चाहा उनकी प्ली अंकित की गई ।

आरोपीगण को धारा 294 द0प्र0स0 के तहत अभियोजन दस्तमावेजों को स्वीकार अथवा अस्वीकारकहे जाने पर उन्होंने समस्त दस्तावेज अस्वीकार करना व्यक्त किया ।

आज ही अपर लोक अभियोजक ने विचारण कार्यक्रम धारा-230 द.प्र.सं. के तहत पेश किया, ि बचाव पक्ष के अधिवक्ता को दी गयी । अतः प्रकरण का अभियोजन की साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है । विचारण कार्यक्रम मुताबिक निम्नानुसार साक्षियों को जरिये समंस तलब किया जावे ।

दिनांक—

दिनांक—

दिनांक—

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक—
.....2014 पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

अभियोजन की ओर से विचारण कार्यक्रम आज ही पेश करना व्यक्त किया । अतएव प्रकरण थोड़ी देर बाद विचारण कार्यक्रम हेतु पेश हो ।

ए0एस0जे0

अपीलार्थीगण द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधि0 ।
प्रत्यर्थीगण द्वारा श्री एम0एल0 मुदगल अधि0 ।
प्रकरण निर्णय हेतु नियत है ।
प्रकरण में निर्णय प्रथक से टंकित कराया जाकर हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया ।
निर्णयानुसार अपीलार्थी की अपील निरस्त की गई ।
निर्णयानुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये ।
निर्णय व डिक्री की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो ।
प्रकरण का परिणाम दर्जकर दाखिल रिकार्ड हो ।

।। ए0डी0जे0 गोहद

पुनश्च:-

८ निर्णयानुसार डिक्री तैयार की गई डिक्री की एक

प्रति नोटिस बोर्ड पर चरुपा की गई । डिक्री पर आपत्ति
हेतु प्रकरण 3 दिवस के अंदर पेश हो ।

।। ए0डी0जे0 गोहद

16/01/2015

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री भगवान सिंह बघेल

आरोपीगण सहित श्री टी.एन. शुक्ला अधिवक्ता ।

प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत है ।

आरोपीगण अधिवक्ता ने अंतिम तर्क हेतु समय चाहा, न्यायहित में आवश्यक रूप से पेश करने के निर्देश के सथ समय दिया गया ।

प्रकरण अंतिम तर्क हेतु दिनांक-17/1/15 को पेश हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

राज्य द्वारा ए.जी.पी. श्री भगवान सिंह बघेल ।
आरोपीगण सहित श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रकरण जमानत प्रस्तुति व अभियुक्त परीक्षण हेतु
नियत है ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

राज्य द्वारा ए.जी.पी. श्री भगवान सिंह बघेल ।
आरोपीगण सहित श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रकरण निर्णय हेतु नियत है ।
निर्णय प्रथम से टंकित कराया जाकर घोषित किया
गया, निर्णय अनुसार आरोपीगण प्रकाश एवं शिवराज सिंह
को आरोपित अपराध क्रमशः 294, 324, 323/34,
326/34, 506—बी भा.दं.वि. एवं धारा— 294, 324,
323/34, 326/34, 506 बी भा.दं.वि. के अपराध से
दोषमुक्त किया जाता है ।

आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते
हैं ।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील
अवधि उपरान्त विधिवत नष्ट किये जावें । अपील होने पर
माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण
किया जावे ।

निर्णय की एक प्रति डी0एम0 भिण्ड को भी भेजी
जावे ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक –

पुलिस थानाविरुद्ध.....

में आरोपी/अभि०गणों को दिनांक के

जमानत आदेश के अनुक्रम में दिनांक को

धारा 437 (3) दं०प्र०सं० की शर्तों का पालन करने के लिये

जमानत पर मुक्त किया गया था। किन्तु

आरोपी/आरोपीगण पेशी

दिनांक को बिना किसी युक्तीयुक्त कारण के

मूल प्रकरण में अनुपस्थित रहा जिससे उसके जमानत

मुचलके जब्त किये गये थे और धारा 446 दं०प्र०सं० के

अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया जिसके अनुक्रम

में यह विविध आपराधिक प्रकरण पंजीवद्ध किया जाता है।

आरोपी/जमानतदार को धारा 446 दं०प्र०सं० का कारण

बताओ नोटिश जारी हो ।

पत्रावली दिनांक को अनावेदक/.....

की उपस्थिति जवाब व अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक

..... को पेश होवे ।

